खण्ड 2, अंक 3

अक्टूबर - मई, 2018

सत्यमेव जयते

ग्रामोदय संकल्प

पंचायती राज,
ग्रामीण विकास
तथा पेयजल एवं
स्वच्छता मंत्रालय
द्वारा प्रकाशित
न्यूज मैगजीन

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

हमारी योजना हमारा विकास
क्षमता निर्माण का कायाकल्प

स्वामी विवेकानन्द
युवा हैं देश का भविष्य

ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए)
1 जून –15 अगस्त 2018

सरदार वल्लभ भाई पटेल
राष्ट्र की कल्पना

चलो चंपारण
सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह

“ लोगों की इच्छा शक्ति के परिणामस्वरूप भारत में परिवर्तनकारी बदलाव हो रहा है, मेरे लिए राइजिंग इंडिया का अर्थ है 125 करोड़ भारतीयों का उदय ”

प्रधानमंत्री की 'मन की बात' – झलकियां

आज सामाजिक, आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना, यह हम सबका कर्तव्य है। हम उस परंपरा का हिस्सा हैं, जहां पुरुषों की पहचान नारियों से होती थी। यशोदा-नंदन, कौशल्या-नंदन, गांधारी-पुत्र, यही पहचान होती थी किसी बेटे की।

ग्रामीण भारत के किसान गोबर और कचरे को सिर्फ वेस्ट के रूप में नहीं, बल्कि आय के स्त्रोत के रूप में देखें। 'गोबर धन योजना' से ग्रामीण क्षेत्रों को कई लाभ मिलेंगे। गांव को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। पशु-आरोग्य बेहतर होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। बायोगैस से खाना पकाने और लाइटिंग के लिए ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। किसानों एवं पशुपालकों को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी, नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 5 मई तक 'ग्राम-स्वराज अभियान' आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत पूरे भारत में ग्राम-विकास, गरीब-कल्याण और सामाजिक-न्याय पर अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें।

इस बार बजट में 'स्वच्छ भारत' के तहत गांवों के लिए बायोगैस के माध्यम से वेस्ट टु वेल्थ और वेस्ट टु एनर्जी बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए पहल शुरू की गई और इसे नाम दिया गया गोबर-धन गेल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। गोबर-धन योजना का उद्देश्य है, गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर एवं खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायो-गैस में परिवर्तित कर उससे धन जेनरेट करना।

किसान सशक्त, देश सशक्त.....,जब देश के गांवों का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा। जब देश का किसान सशक्त होगा, तब देश अपने आप सशक्त हो जायेगा।

सत्यमेव जयते

प्रधानमंत्री

Prime Minister

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि त्रैमासिक पत्रिका 'ग्रामोदय संकल्प' के नए संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यह ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। पंचायतें नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और हम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

भारत सरकार गरीबों और ग्रामवासियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। जनशक्ति और जनभागीदारी के माध्यम से हमारा उद्देश्य गांवों में लोगों के जीवन स्तर और लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। भारत सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे गाँव के विकास के लिए, गांव के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, गाँव को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आज जो भी संकल्प करेंगे, उन्हें पूरा करने में भारत सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हमेशा आपके साथ रहेगी। आपके सपनों के साथ हमारे सपने भी जुड़ेंगे और हम सबके सपने मिलकर सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करके रहेंगे।

इस अवसर पर संपूर्ण देश की पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
15 जून, 2018

विषय सूची

स्वामी विवेकानन्द : युवा हैं देश का भविष्य 07

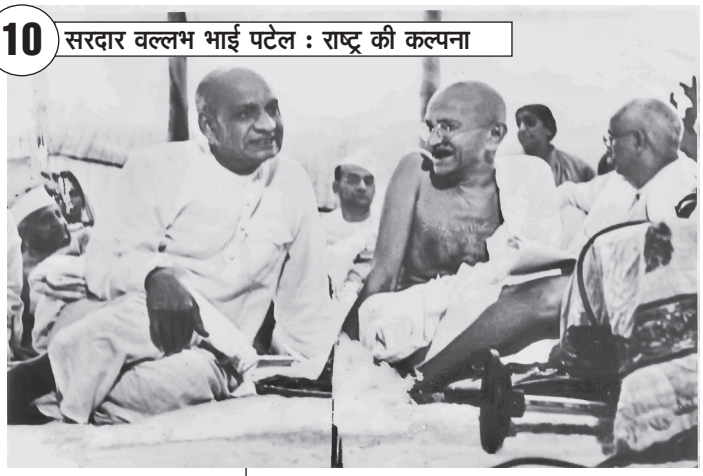

10 सरदार वल्लभ भाई पटेल : राष्ट्र की कल्पना

चलो चंपारण : सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह 38

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह	38
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	40
सफलता की कहानियां	42-46
विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय	
हाल की गतिविधियां	47

पंचायती राज मंत्रालय

सफलता की कहानियां	13-17
क्षमता विकास योजना का नवीनीकरण	
हमारी योजना हमारा विकास	
कर चुकाओ, सेवाओं का लाभ उठाओ	
समाजोत्प्रेरित सर्वांगीण विकास	

बेकार प्लास्टिक का सड़क निर्माण में उपयोग 35

ग्रामीण विकास मंत्रालय

एक गांव का रूपान्तरण	18
डीडीयू-जीकेवाई सफलता की कहानियां	20
एक आदर्श खेत का उदाहरण	29
कूड़े-कचरे से जैविक खाद तक	30
बांस उत्पादन की नर्सरी	31
पोल्ट्री उद्योग का कायाकल्प	32
कैफे दीदी: जहां ख्वाब सच होते हैं	34
बेकार प्लास्टिक का सड़क निर्माण में उपयोग	35

सलाहकार मंडल

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मुख्य संपादक

अमरजीत सिन्हा
सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय

संपादक मण्डल

संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
महानिदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
निदेशक (आई.ई.सी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय
निदेशक (आई.ई.सी.), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
निदेशक (मीडिया), पंचायती राज मंत्रालय

संकलन एवं अनुवाद

जागरण प्रकाशन लिमिटेड

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 40

02 प्रधानमंत्री की मन की बात - झलकियां

सत्यमेव जयते

नरेन्द्र सिंह तोमर
ग्रामीण विकास,
पंचायती राज एवं खान मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

संदेश

ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पूर्व की तरह प्रामाणिक जानकारी का भंडार समेटे हुए आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं। नींव अगर मजबूत हो तो इमारत की बुलंदी को कौन रोक सकता है? हमारा लोकतंत्र हमारी विशेषता और निर्वाचित पंचायत लोकतंत्र की आत्मा है। भारत का महान लोकतंत्र हमारे पूर्वजों के अथक संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। इसे न सिर्फ अक्षुण्ण रखना है बल्कि विकसित और मजबूत बनाना हमारा कर्तव्य है। इस दिशा में विकेंद्रित स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

ग्राम पंचायत में विकास से संबंधित पूर्व योजना, पारदर्शी प्रणाली, आधुनिक तकनीक का उपयोग, सामुदायिक भागीदारी, आंतरिक और सामाजिक मूल्यांकन, नवाचारों के प्रयोग, रोजगार के अवसरों का सृजन, स्वच्छता को प्राथमिकता, सामाजिकता को बढ़ावा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने जैसे अनेक उपायों की दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधियों को साहसपूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि देश में अनेक पंचायती राज प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में असाधारण और अभूतपूर्व कार्य कर ग्राम विकास के प्रेरणास्रोत बने हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मान्यता है कि देश को आगे बढ़ाना है, तो गांव में विकास और समृद्धि की नई इबारत लिखनी होगी। इसी को दृष्टि में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 14वें वित्त आयोग की 200,292.2 करोड़ रुपये की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को देने की स्वीकृति प्रदान की है।

ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण, तकनीकी समर्थन और मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'' योजना प्रारंभ की गई है। इसका लाभ क्षमतासंवर्धन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा। गांव के गरीबों, दलितों और आदिवासियों के जीवनस्तर में बदलाव लाने तथा गैरबराबरी समाप्त करने की दिशा में मोदी सरकार गरीब-हितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना, सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

पंचायती राज प्रतिनिधियों के संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ने से इन योजनाओं का पात्र हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत आच्छादन संभव हो सकेगा। जब गांव में अधोसंरचना विकसित होगी, सामाजिकता का विस्तार होगा और मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी, तो गांव निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और नए भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान कर सकेगा। इसका श्रेय निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में हम सब देश की बागडोर भावी पीढ़ी को सौंपते समय गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत निर्माण में हमारा भी योगदान है। हमने 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान चलाकर देश के चुनिंदा गांवों तक सात प्रमुख योजनाओं के शत प्रतिशत आच्छादन का सफल प्रयास एक प्रयोग के रूप में किया। आजादी के बाद पहली बार केन्द्र में किसी सरकार ने 16,850 गांवों को समस्याओं से मुक्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सीधे पहुंचाने का काम पहली बार अपने हाथ में लिया और हम अपने प्रयासों में सफल रहे। 'ग्राम स्वराज अभियान' एक अनूठा प्रयोग है और हम दृढ़संकल्पित हैं कि ये कारवां रुकेगा नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में देश के 115 जिलों के 65 हजार गांवों को 15 अगस्त 2018 तक आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मचारियों तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों का सम्मिलित प्रयास सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की महान परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अपने जीवन के हर एक क्षण का रचनात्मक उपयोग करते हुए अथक परिश्रम को परिणामदायक बनाने के लिए प्रयत्नरत और प्रतिबद्ध हैं। आइये, हम सब मिलकर एक नए भारत के निर्माण के उनके संकल्प में हाथ बंटाएं और जन-जन को खुशहाल बनाने के राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुट जाएं।

(नरेंद्र सिंह तोमर)

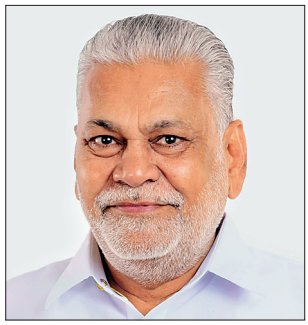

सत्यमेव जयते

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
व पंचायती राज मंत्रालय,
भारत सरकार

संदेश

भारत सरकार के तीन मंत्रालयों (पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय) की संयुक्त त्रैमासिक पत्रिका ''ग्रामोदय संकल्प'' का नवीनतम अंक ''ग्राम स्वराज अभियान'' के द्वितीय चरण की अवधि (1 जून - 15 अगस्त 2018) में आपको हस्तगत हो रहा है। यह पत्रिका भारत सरकार के तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों के जनहितकारी कार्यक्रमों, योजनाओं, गतिविधियों, परिकल्पना, सोच और दिशा के साथ-साथ भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं सुशासन संबंधी रोडमैप के विषय में आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक ग्राम-स्वराज अभियान का आयोजन किया गया तथा इसके अंतर्गत पूरे भारत में ग्राम-विकास, गरीब-कल्याण और सामाजिक न्याय पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचायत प्रतिनिधियों ने इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल 2018) भी ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत मनाया गया तथा इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के मंडला में एक सार्वजनिक सभा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने स्थानीय शासन डायरेक्टरी (लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी) का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने गांवों के उन सरपंचों का स्वागत किया, जिन्होंने शत-प्रतिशत धुआं रहित रसोइयों, मिशन इन्द्रधनुष के तहत शत-प्रतिशत टीकाकरण और सौभाग्य योजना के तहत शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। मध्यप्रदेश के मंडला में देशभर से आए पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के ग्रामोदय से राष्ट्रोदय और ग्राम स्वराज को याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा गावों के महत्व पर जोर देते थे और ग्राम स्वराज की बातें किया करते थे। उन्होंने सभी लोगों से गांवों की सेवा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ग्रामीण विकास की बातें होती हैं, तो बजट महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में स्थितियां बदली हैं। लोग अब यह सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में बात करने लगे हैं कि परियोजना के लिए आवंटित राशि का इस्तेमाल हो और योजना समय पर पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हो। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश करने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत जनप्रतिनिधियों से जल संरक्षण पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कचरे को ऊर्जा में बदलने के अलावा वित्तीय समावेश के लिए जन-धन योजना, जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए वन-धन योजना और किसानों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर-धन योजना के महत्व के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में बदलाव से ही भारत की कायापलट को सुनिश्चित किया जाएगा।

ग्राम स्वराज अभियान के प्रथम चरण की अपार सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब गरीब को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार गरीबों तक समस्या के निदान तक पहुंच रही है। मैं ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण में आप सभी की सकारात्मक एवं सक्रिय भागीदारी के लिए अनुरोध कर रहा हूं तथा राष्ट्रहित में इस अभियान की सफलता की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं के साथ

(परशोत्तम रूपाला)

स्वामी विवेकानन्द
युवा हैं देश का भविष्य

स्वामी विवेकानन्द जयंती (12 जनवरी): राष्ट्रीय युवा दिवस

''भविष्य के प्रति मेरी आशाएं उन चरित्रवान युवाओं पर आश्रित हैं जो बुद्धिमान, त्यागी, दूसरों की सेवा हेतु समर्पित व आज्ञाकारी हैं- जो न केवल अपने लिए कल्याणकारी हैं अपितु पूरे राष्ट्र के हित में सक्रिय हैं।''

- स्वामी विवेकानन्द

युवा एक राष्ट्र की सबसे प्रभावशाली ताकत है। युगद्रष्टा स्वामी विवेकानन्द के वर्षों पहले कहे गए ये शब्द समय की कसौटी पर बार-बार खरे उतरे हैं। यदि आधुनिक पीढ़ी का युवा इस महानतम आध्यात्मिक मार्गदर्शक के विचारों का अनुसरण करे, तो न केवल युवा अपितु पूरा राष्ट्र लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि उनके विचारों में आध्यात्मिक ज्ञान व व्यावहारिक विवेक का सार-तत्व मौजूद है।

स्वामी विवेकानन्द, महान तपस्वी, आध्यात्मिक चिन्तक व श्रेष्ठ वक्ता के साथ-साथ सच्चे देशभक्त थे। आज के युवा उनके मुक्त-विचार के दर्शन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसकी प्राप्ति उन्हें अपने महान गुरु, सिद्ध योगी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। उनकी जयंती (राष्ट्रीय युवा दिवस) के अवसर पर स्वामी विवेकानन्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्हें कालातीत युगद्रष्टा कह कर सम्बोधित किया। उन्होंने कहा, ''दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के हल खोजता व्यक्ति उनका समाधान इस महापुरुष के शब्दों में पा सकता है। स्वामी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आश्चर्य-चकित करते हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के इस महान देशभक्त को औपचारिक रूप से स्मृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, वे सदैव हमारे हृदय में निवास करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानन्द द्वारा उद्घोषित उस महान स्वदेशी मंत्र का पुन:स्मरण किया जिसमें उन्होंने इस

पवित्र भावना का उल्लेख किया है कि एक भारतीय को किस तरह जीवन-यापन करना चाहिए। उस मंत्र की शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा की अनुभूति करते हुए श्री मोदी ने स्वामी जी के इन विवेकयुक्त शब्दों को याद किया,''हे भारत, मत भूलो, कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत सन्तुष्टि के लिए ही नहीं है। हे वीरों! गर्व के साथ उद्घोष करो कि तुम भारतीय हो। पूरे सम्मान के साथ बोलो कि प्रत्येक भारतीय तुम्हारा भाई है और तुम्हारा जीवन प्रत्येक भारतीय में समाहित है। भारत की मिट्टी के भीतर हमारा स्वर्ग निवास करता है। भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है।''

ऐसी महानता थी स्वामी जी की, जिन्होंने भारत की छवि को विश्वपटल पर नई ऊँचाइयाँ, नई गरिमा दी। स्वामी जी ने विश्व के समक्ष सँपेरों के देश वाली भारत की छवि विद्वान, अति शिक्षित, दार्शनिक, व्यावहारिक, सशक्त नेतृत्व की क्षमता से परिपूर्ण और विश्वबन्धुत्व की भावना में आस्था रखने वाले भारत के रूप में पेश की। एक सच्चे सन्त, स्वामी विवेकानन्द का मत था कि राष्ट्र को समाज के निर्धन व जरूरतमन्द लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए अथक प्रयास व परिश्रम करने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को निर्धनों की समर्पण भाव से सेवा करने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें युवा शक्ति पर अगाध विश्वास था।

''गुणों का अभ्यास करो! गुणों के लिए अध्यवसायी बनो! गुणों को अपने भीतर समाहित करो! श्रेष्ठतम गुण व अच्छाई के प्रति साहसी व समर्पित व्यक्ति बन कर निखरो। युवा इस महान प्रक्रिया हेतु बना है। युवा इन प्रक्रियाओं का सक्रिय विकास और संपादन है। युवा भविष्य है।'' वास्तव में ये शब्द वक्त की आवश्यकता के सूत्र हैं और वर्तमान युवा वर्ग के लिए पूर्ण दिशा निर्देश हैं। आज के युवा को पहले से ज्यादा दिशा-निर्देशन की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक जीवन व शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द, (बचपन का नाम

नरेन्द्र नाथ दत्त) का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता के एक धनी परिवार में हुआ था। वे कुशाग्र बुद्धि के मेधावी छात्र थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त समाज के प्रभावशाली व्यक्ति और एटॉर्नी जनरल थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण गृहिणी थीं। स्वामी विवेकानन्द पर माता-पिता की गहरी छाप थी।

प्रासंगिकता

विवेकानन्द की मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक सोच युवा वर्ग को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। पूरे विश्व में व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल देखते हुए विश्वबन्धुत्व व आत्मजागृति का उनका सन्देश आज भी प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं, और उनके शब्द, देश के युवाओं के लिए स्व-उत्थान के आधार बन सकते हैं।

युवाओं के आदर्श स्वामी जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। वे न केवल उच्च शिक्षित थे अपितु अनेक पाठ्येत्तर गतिविधियों- शास्त्रीय गायन-वादन, कुश्ती, बॉडी-बिल्डिंग और जिम्नास्टिक्स में भी उनकी अगाध रुचि थी। वे एक स्फूर्त पाठक थे और अधिकतर दिन के उजाले में पढ़ा करते थे। उन्होंने हिन्दू धर्मग्रन्थों, पुराणों, रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, उपनिषद, वेद, पाश्चात्य दर्शन, इतिहास व आध्यात्म का अध्ययन किया। आज के विद्यार्थी शैक्षिक और पाठ्येत्तर गतिविधियों को एक साथ करने में फंसाव या कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने मेट्रोपॉलिटन संस्थान, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता जैसे ख्याति प्राप्त महाविद्यालयों की पढ़ाई के साथ-साथ कला में स्नातक उपाधि के लिए स्कॉटिश चर्च कालेज, कलकत्ता से उत्कृष्ट अध्ययन की मिसाल पेश की। साथ ही अपनी अभिरुचियों से संबंधित गतिविधियां भी जारी रखीं।

राष्ट्र व युवाओं पर स्वामी विवेकानन्द के विचार

गरीबी की मार से पीड़ित समाज की

स्थिति से व्यथित स्वामी जी ने महसूस किया कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन व खुशहाली की कुंजी है। वह चाहते थे कि शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बनाए बल्कि उसे आत्मसम्मान और स्वावलम्बन का पाठ भी सिखाए। उनके अनुसार शिक्षा, मात्र सूचनाओं का संकलन नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण, चरित्र निर्माण करने वाली, जीवन संवारने वाली व समाज के निर्माण में योगदान करने वाली होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं का आह्वान कर उन्हें इस महान कार्य में लगाया। स्वामी जी जब 1893 में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद में शामिल होने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए, तो उन्होंने एक भारतीय युवा को लिखा: ''मैं इस भूमि पर भूख व ठंड से मर सकता हूँ, लेकिन हे युवक, मैं तुम्हें, निर्धन, अशिक्षित व दलितों के लिए संघर्ष करने एवं सहानुभूति रखने की वसीयत देता हूँ। संकल्प करो कि तुम दिन-प्रतिदिन दुर्गति को प्राप्त होती जा रही इस 30 करोड़ जनता, के कल्याण हेतु अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दोगे।''

उनका विश्वास था कि युवावस्था जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान व सर्वोत्तम समय है। यह अभिव्यक्ति के परे है और इसे मापा नहीं जा सकता। प्रसन्नता, सफलता, सम्मान व प्रसिद्धि जीवन की इसी अवधि के प्रयासों पर निर्भर हैं। उनका मानना था कि युवा विकास-स्तम्भ हैं। वे चाहते थे कि युवा समझें कि युवावस्था का समय विशिष्ट और साहसपूर्ण है। स्वामीजी की इन्हीं प्रभावपूर्ण शिक्षाओं के कारण भारत सरकार ने उनकी जन्मतिथि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

स्वामी विवेकानन्द एक महान प्रेरक थे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे आत्मविश्वासी बनें : ''तुम ईश्वर पर तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है।'' वे चाहते थे कि युवा ''अनुभूति'' करने की योग्यता को धारण व पोषित करें। उन्होंने तीन पी का मंत्र दिया- Purity (पवित्रता), Patience (धैर्य) और Perseverance (दृढ़ता)। आज के युवा को समाज में सकारात्मक छाप छोड़ने के लिए इन तीन गुणों की आवश्यकता है। उनकी सफलता हेतु दिए गए ये तीन निर्देश वास्तव में आत्मीय, आँखें खोलने वाले और अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

''एक विचार अपनाओ। उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसी का चिन्तन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी विचार को जिओ। मस्तिष्क, मांसपेशियाँ, तन्त्रिकाएं और शरीर, सब कुछ इसी विचार से भर जाएं, बाकी सारे विचारों को त्याग दो। यही सफलता की राह है।''

राष्ट्र व युवाओं पर स्वामी विवेकानन्द के विचार

गरीबी की मार से पीड़ित समाज से व्यथित स्वामी जी ने महसूस किया कि सामाजिक परिवर्तन व प्रसन्नता की कुंजी शिक्षा है। वह चाहते थे कि शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बनाए बल्कि उसे आत्मसम्मान और स्वावलम्बन का पाठ सिखाए। उनके अनुसार शिक्षा मात्र सूचनाओं का संकलन नहीं बल्कि अर्थपूर्ण चरित्र निर्माण करने वाली, जीवन संवारने वाली व समाज के निर्माण में योगदान करने वाली होनी चाहिए।

जो व्यक्ति स्वामी जी के इस कथन पर विश्वास कर उसका अनुसरण करता है, वह युगान्तरकारी बन जाता है। आज का युवा वर्ग देश की महानतम् पूँजी व निधि है। उनकी ऊर्जा, आशा, भावना, आदर्श, उत्साह व आशावादी दृष्टिकोण देश को प्राचीन गौरव, शक्ति व समृद्धि की ओर वापस ले जाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि युवावर्ग ही आम जनता को शिक्षित व प्रेरित कर सकता है। यही वर्ग लोगों की आध्यात्मिक चेतना जगा सकता है और उन्हें अपने गौरव, योग्यता और क्षमताओं की अनुभूति करा सकता है। ♦

सरदार वल्लभ भाई पटेल
राष्ट्र की कल्पना

धर्म की राह चुनो यानी सत्य व न्याय के पथ पर चलो, अपने पराक्रम का दुरुपयोग मत करो। संगठित रहो। पूरी विनम्रता के साथ आगे बढ़ो, परन्तु उन परिस्थितियों के प्रति सजग रहो, जिनका तुम्हें सामना करना है। अपने अधिकार व निश्चय पर दृढ़ रहो।

देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्वतन्त्र भारत की कल्पना इस शक्तिशाली नेता के बारे में बहुत कुछ कहती है। भारतीय राजनीतिक इतिहास का यह अद्भुत व्यक्तित्व आजादी के बाद 562 स्वायत्त राज्यों के भारतीय गणराज्य में विलय कराने जैसे अतिदुर्लभ कार्य का नायक था। उनके हस्तक्षेप व सामरिक कौशल के बिना यह संभव नहीं था। इस अद्वितीय योगदान के अतिरिक्त भारत की आजादी में उनका योगदान बहुआयामी था। एक अधिवक्ता व राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वे महात्मा गांधी के सिद्धान्तों व विचारधारा से अत्याधिक प्रभावित थे। वे न केवल प्रशासनिक योग्यता में, बल्कि उन गुणों में भी श्रेष्ठ थे जो भारत की प्राचीन विरासत का हिस्सा हैं, जैसे कि त्याग और नि:स्वार्थ सेवा। उन्होंने इसे उस समय सिद्ध किया जब महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लिया, हालांकि वे जनता की पहली पसंद थे। राष्ट्र निर्माण के अटल व अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक सैनिक-सन्त के गुण अपने योद्धा पिता झावेरभाई पटेल (जो कि झांसी की रानी की सेवा में रहे थे) और अपनी आध्यात्मिक मां लाडबाई से विरासत में मिले थे।

सन् 1917 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजरात इकाई के सचिव निर्वाचित हुए। 1918 में उन्होंने खेड़ा में ''कर निषेध आन्दोलन'' (No Tax campaign) का नेतृत्व

सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय संसद को सम्बोधित करते हुए

सरदार वल्लभभाई पटेल पेप्सू के राजप्रमुख के रूप में महाराजा पटियाला को शपथ दिलाते हुए

मई, 1950 में कन्याकुमारी मन्दिर, केप कोमोरिन में त्रावणकोर कोचीन संयुक्त राज्य के प्रमुख टी के नारायन पिल्लई के साथ सरदार पटेल

किया और किसानों से कर न देने का आह्वान किया, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने बाढ़ के बावजूद कर वसूलने पर जोर दिया था। इस शान्तिपूर्ण आन्दोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को किसानों से छीनी गई जमीन लौटाने को मजूबर कर दिया। उन्होंने आगे भी महात्मा गांधी द्वारा चलाये गए असहयोग आन्दोलन में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया और तीन लाख से भी अधिक स्वयंसेवकों की भर्ती की। इसके अतिरिक्त उन्होंने 15 लाख रुपए से अधिक धनराशि एकत्रित करने में भी सहयोग किया।

एक शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने हाल में सरदार वल्लभभाई पटेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक सोच व कुशलता का ही परिणाम है कि भारत आज एक संगठित देश है, जबकि अंग्रेज शासक चाहते थे कि यह देश आजादी के बाद छोटे-छोटे राज्यों में बंट जाए। भारत के वीर योद्धा सरदार पटेल भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे जो बाहरी खतरों व अंतर्विरोधों से सुरक्षित हो। इस राष्ट्र को ब्रिटिश जैसे शक्तिशाली शासन व अक्खड़ राजाओं के चंगुल से मुक्त कराने के उनके अथक प्रयास अत्यन्त सराहनीय हैं। परिस्थितिजन्य संकटों में पैनी निर्णयात्मक दृष्टि, राजनीतिक द्वन्दों को सुलझाने की सूझ-बूझ और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साहसिक सोच, उनके अद्वितीय गुण थे। स्वतन्त्रता संग्राम में और उसके बाद भी उनके सक्रिय सहयोग के बिना, आज जिस भारत में हम रह रहे हैं वह स्वप्न मात्र होता। इस राष्ट्र को एक महान लोकतन्त्र बनाने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अमेरिका की Statue of Liberty की तर्ज पर सरदार पटेल की प्रतिमा (जिसे एकता की प्रतिमा Statue of Unity का नाम दिया गया है) स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सरदार पटेल की ''एक राष्ट्र, एक संस्कृति व एक जाति'' की अवधारणा को बल देना है। वास्तव में यह सरदार पटेल के आधुनिक भारत का स्वप्न था जो उनकी राष्ट्र-भक्ति से जुड़े सभी मामलों में परिलक्षित होता है।

वस्तुत: आधुनिक भारतीय इतिहास, सरदार पटेल की भूमिका के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनके एक मजबूत भारत के स्वप्न के प्रमुख सूत्र हैं- बाह्य शक्तियों से सुरक्षा हेतु सुदृढ़ सैन्य शक्ति, राष्ट्र को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र को सशक्त करने की योजनाएं और आम जनता को लाभान्वित करने हेतु सक्रिय लोकसेवा तंत्र के माध्यम से कुशल प्रशासन का लाभ जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास। आज राष्ट्र स्वतन्त्र भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के इन्हीं दिशा-निर्देशों पर चल कर प्रगति कर रहा है। भारतमाता के इस वीर सपूत ने 1950 में अन्तिम सांस ली। इस अथक संघर्षशील योद्धा व विलक्षण भविष्य दृष्टा की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु 2014 में भारत सरकार ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्र ने सरदार पटेल की 142वीं जयन्ती "Run for Unity" समारोह के माध्यम से अत्यन्त उत्साह के साथ

गुजरात के कारामुड, खेड़ा जिले में अपने स्कूली दिनों के दौरान वल्लभाई पटेल

"यदि हम भारत में गर्व के साथ रहते हैं और हमारे सर स्वाभिमान के साथ ऊँचे हैं तो यह सरदार पटेल के कारण ही है। "

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा: ''सरदार पटेल की महत्वपूर्ण सेवाओं व अविस्मरणीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।''

बारडोली सत्याग्रह

बारडोली सत्याग्रह की सफलता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक जीवन में नया मोड़ ला दिया। यह सत्याग्रह आन्दोलन भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। 1928 में ब्रिटिश शासकों ने गुजरात राज्य में सूरत जिले के बारडोली तालुक में भू-राजस्व बढ़ा दिया। आज यह गुजरात का एक ऐतिहासिक शहर है। बारडोली का सरदार वल्लभ भाई पटेल से गहरा नाता है।

वास्तविक संकट : 1925 में बारडोली अकाल व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त था। इससे फसलों को भीषण क्षति पहुँची और किसान भारी वित्तीय संकट में फंस गए। बाम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार ने उनकी मदद करने के बजाय, उस साल कर की दर 30% बढ़ा दी। सरकार के इस कदम से किसान नाराज़ हो गए क्योंकि उनके पास कर का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। नरहरि पारीक, रवि शंकर व्यास, मोहन लाल पाण्ड्या जैसे कार्यकर्ताओं ने किसानों को इस अन्याय का विरोध करने के लिए समझाया, लेकिन विफल रहे। तब वे सरदार पटेल से मिले जो कि गुजरात के सबसे सशक्त स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ग्रामवासियों के

प्रस्तावित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

पूर्ण सहयोग के बिना यह विद्रोह सफल नहीं हो सकता। सरदार पटेल ने इस विषय में महात्मा गाँधी से सुझाव लिया, लेकिन महात्मा गाँधी ने इस आन्दोलन को पूरी तरह सरदार पटेल के जिम्मे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सरदार पटेल की क्षमता पर पूरा भरोसा था। पटेल और गाँधी जी इस बात पर सहमत थे कि यह

बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल

1948 में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते सरदार पटेल

विद्रोह पूरी तरह बारडोली के लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने बारडोली के लोगों के घर व जमीनें बेचनी शुरू कर दीं। जैसी कि उम्मीद थी, गुजरात या अन्य राज्यों से कोई भी उन घरों व जमीनों को खरीदने के लिए आगे नहीं आया। सरदार पटेल ने प्रत्येक गाँव में सरकार के कदमों पर नज़र रखने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया। अंग्रेज सरकार के इस कृत्य की घोर आलोचना हुई।

अन्ततोगत्वा 1928 में बाम्बे सरकार ने एक समझौते का मसौदा तैयार किया और इस बात पर सहमति बनी कि न केवल 30% कर, बल्कि उस साल व उसके अगले साल की राजस्व वसूली निरस्त कर दी जाए।

किसानों ने इस महान विजय का उत्सव मनाया। सरदार पटेल ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक किसान की भूमि व सम्पत्ति वापस कर दी जाए और कोई भी इस राहत से वंचित न रहे।

सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह एक बड़ी सफलता थी। इस आन्दोलन के साथ सरदार पटेल का राजनीतिक कद बहुत ऊँचा हो गया और उनकी जमीनी सच्चाई की समझ व नेतृत्व कुशलता में इस हद तक निखार आया कि उन्हें ''सरदार'' की उपाधि दी गई।

बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं की अग्रिम पंक्ति में आ गए। यद्यपि उन्होंने इसका श्रेय गाँधी जी की शिक्षाओं और किसानों की अपने हक से जुड़ी प्रतिबद्धता को दिया। पूरे देश के लोगों ने उनके नेतृत्व का लोहा माना। 1930 में सरदार वल्लभभाई पटेल उन प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल थे जिन्हें महात्मा गाँधी के नमक आन्दोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने भाषणों से लोगों को इस कदर प्रेरित किया कि उनमें से ज़्यादातर लोगों का दृष्टिकोण बदल गया और बाद में वे इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए महासमर में कूद पड़े। ♦

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

ग्राम पंचायत विकास योजना का शुभारंभ एवं पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता विकास योजना का नवीनीकरण

सफलता की कहानियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार, पंचायतें स्वशासित संस्थाएं हैं। उन्हें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने का पूर्ण अधिकार है। स्थानीय सरकार होने की हैसियत से ग्राम पंचायतें स्थानीय निवासियों को आधारभूत सेवायें देने और निर्धनों व हाशिए के उपेक्षित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने आवश्यक बना दिया है कि पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों व पंचायतों के साथ कार्य करने की नयी रणनीति बनाए। मंत्रालय की जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायतें इस धन का सही इस्तेमाल करें, हालांकि यह दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। इस बड़ी धनराशि के प्रबंधन की कई पूर्व आवश्यकताओं में से एक यह भी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक ठोस विकास योजना हो।

इस योजना को एक भागीदारी योजना के रूप में तैयार किया जाना है जिसमें स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से ग्राम-सभा शामिल हो, ताकि संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुसार सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने भागीदारी नियोजन और शासन के लिए वित्त आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा को अपने सकारात्मक हस्तक्षेप के एक बड़े अवसर के रूप में लिया है। आशा की जा रही है कि इससे स्थानीय प्राथमिकताओं को पारदर्शी और उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए धन का बेहतर तरीके से उपयोग होगा, जिससे बेहतर माहौल बनेगा। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करने के साथ संबंधित विभागों से बेहतर तालमेल संभव होगा। इस प्रकार वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्य को सम्पादित करने का सबसे सुगम तरीका है कि हम एक साथ जुटें, एक दूसरे से अपने अनुभव बांटें और आम सहमति से दिशा-निर्देश निर्धारित करें। तत्पश्चात् इन दिशा-निर्देशों पर कार्य कर ऐसे दिशा-निर्देशों का निर्धारण करें जो किसी राज्य विशेष के लिए सर्वाधिक अनुकूल हों। इस प्रकार पांच दिन की एक कार्यशाला में सतत् परामर्श और विचार-विमर्श के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का एक ढांचा विकसित किया गया, और राज्यों को यह सुविधा दी गई कि वे अपनी आवश्यकताओं व स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप इस ढांचो में परिवर्तन कर सकें।

ग्राम पंचायत विकास योजना चक्र के इन घटकों पर प्रकाश डाला गया:

- जीपीडीपी के लिए वातावरण का निर्माण व सामुदायिक हिस्सेदारी
- सहभागी योजना दलों की पहचान व सहयोगी ढांचों को व्यवस्थित करना।
- स्रोत आवरण (Resource envelop) का निर्धारण।
- परिस्थिति विश्लेषण व आवश्यकता का मूल्यांकन।
- ग्रामसभा हेतु सामूहिक दृष्टि का निर्माण।
- ग्राम पंचायत स्तर पर योजना विकसित करना व उसे अन्तिम रूप देना।
- ग्राम पंचायत के मूल्यांकन व स्वीकृति की क्रियाविधि का निर्धारण।
- विभागों के बीच सहायता प्रणाली (Support system) व अभिसरण क्रियाविधि (Convergence mechanism) का निर्धारण।
- ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन।
- निगरानी (monitoring) व मूल्यांकन।
- दायित्व निर्धारण नीति।
- बहुआयामी संसाधन वैयक्तिक सहायता नेटवर्क (Resource Person Support Network) का विकास।
- समस्त हितधारकों (Stake holders) - जैसे, निर्वाचित प्रतिनिधियों,

अधिकारियों व सामाजिक समूहों को सम्मिलित करते हुए क्षमता विकास योजना का शुभारम्भ।

राज्य सरकारों ने कार्यशाला के निष्कर्षों को और आगे भी परिमार्जित किया ताकि ''मेरा गांव, मेरी योजना'' की अवधारणा के अनुरूप इसे रूपान्तरित किया जा सके।

ग्राम पंचायत विकास योजना की क्षमता विकास प्रक्रिया को क्षमता विकास व प्रशिक्षण की नयी विधियों की आवश्यकता है ताकि योजना प्रक्रिया के विषय में ग्राम पंचायत योजनाओं में पंचायत समितियों और सामाजिक समुदाय दोनों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय की क्षमता विकास योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना पर केन्द्रित करने के लिए पुनर्गठित किया गया है । वर्तमान में ग्राम पंचायतों वाले सभी राज्यों ने ग्राम पंचायत विकास योजना की अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दिशानिर्देश जारी किए हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना का शुभारम्भ हो गया है और यह निरंतर गतिमान होती जा रही है। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है।

हमारी योजना हमारा विकास

पंचायती राज विभाग, झारखण्ड

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, निर्बल परिवारों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की सक्रिय सहभागिता के द्वारा स्थानीय अधिशासन को सशक्त कर पंचायतों को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना की धुरी के रूप में सूक्ष्म-परियोजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। 2015-16 में, ''योजना बनाओ अभियान'' ने पहली बार ग्राम पंचायतों को यह अवसर दिया कि वे पंचायतों के सम्पूर्ण विकास की योजना तैयार करें। चौदहवें वित्त आयोग की ग्राम पंचायतों हेतु अनुशंसा, योजनाएं तैयार करने की प्रेरणा बनीं। पिछले वर्ष, झारखण्ड पहला राज्य था जिसने अभिसरण (Convergence) आधारित ग्राम विकास योजना तैयार की। दो प्रमुख स्रोत जो आपस में जोड़े गए, वे थे वित्त आयोग व मनरेगा। ''योजना बनाओ अभियान'' के प्रमुख परिणामों के अंतर्गत देखा गया कि इसने पंचायतों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना दिया और उन्हें विकास हेतु क्रमबद्ध योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। इस वर्ष योजना प्रक्रिया को और अधिक आवश्यकता-आधारित बनाने के लिए स्थायी समितियों व पंचायत स्वयंसेवियों की सक्रिय सहभागिता व योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। सुविधा दल अर्थात् योजना पंचायत दल में पंचायत स्वयंसेवी वार्ड सदस्य थे। ग्राम सभाओं की स्थायी समिति सम्बन्धित गांवों की परिस्थितियों के विश्लेषण में लग गयी।

इस वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना में त्रिकोणीय रणनीति बनायी गई। पहली रणनीति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में मालसूची जांच क्रिया का निर्धारण किया गया, जिसका लक्ष्य था 2015-16 में उपलब्ध निधियों और योजनाओं की समीक्षा और पंचायतों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। दूसरी रणनीति थी पंचायत भविष्य निरूपण दृष्टि (विजन)। इसके अन्तर्गत विकास के सभी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने का लक्ष्य रखा गया। जहां-जहां पंचायत की भूमिका देखी गई, वहां सम्बन्धित सतत् विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार द्वारा राजनीतिक स्वामित्व का विषय रखा गया। राज्य में ग्राम पंचायत विकास योजना को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर पर व्यापक मीडिया अभियान चलाया गया। इसके पश्चात् जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर मिड-मीडिया गतिविधियां की गईं। हितधारकों के विविध समूहों का प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि और ग्राम पंचायत विकास योजना की रीढ़ मानी गई।

ग्राम पंचायत विकास प्रक्रिया का अन्तिम व सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था निगरानी गतिविधियां। इस वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना में सभी विभागों को सम्मिलित किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी मुख्य सचिवों/सचिवों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि वे पंचायतों में ग्राम सभाएं बनाएं। सभी सांसदों और विधायकों को भी ग्राम सभाओं के निरीक्षण व सक्रिय सहभागिता की जिम्मेदारी सौंपी गई।

योजनाएं

भविष्य निरूपण व्यापक विजन से निम्नलिखित तीन प्रकार की योजनाएं निकलीं :

- **चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत योजनाएं;**
- **कम लागत की व लागत रहित योजनाएं; और**
- **विभिन्न विभागों के अन्तर्गत योजनाएं।**

मुकुन्दपुर पटना ग्राम पंचायत

उड़ीसा का सफल प्रयास

उत्कृष्ट प्रयास की यह मिसाल घटागांव की मुकुन्दपुर ग्राम पंचायत की है। यह आदिवासी जिला, क्योंझर में है जहां मां तारिणी का पीठ भी है। इस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सात राजस्व जिले हैं। गांव की महिलाएं ईंधन की लकड़ियां एवं छोटे-मोटे जंगली उत्पाद एकत्रित करने का काम करती हैं और विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। महिलाओं का बाहरी दुनिया से सम्पर्क बहुत कम है। इन सारी मुश्किलों के बावजूद, कुछ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम पंचायत की आर्थिक स्वायत्तता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इस प्रक्रिया में महिला सरपंच के नेतृत्व और एक स्थानीय पत्रकार, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, एक वरिष्ठ नागरिक और सिविल सोसायटी के एक सदस्य के सहयोग से पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया ताकि पंचायत के लिए आन्तरिक राजस्व वृद्धि की योजना बनाई जा सके। नवनिर्वाचित समिति की सलाह पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए:

- **नए वाहन खड़े करने का स्थान:** मन्दिर के चारों ओर कहीं भी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल नहीं बनाया गया था। इस कारण यातायात बाधित होता था और श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा होती थी। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पंचायत को वन विभाग से कुछ भूमि प्राप्त हो गई। पंचायत ने इस जमीन को अपनी आय के स्रोतों से पार्किंग स्थल के रूप में विकसित कर दिया।
- **बाजार परिसर का विस्तार:** वर्ष 2014-15 में मौजूदा परिसर का विस्तार किया गया ताकि दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सके और ग्राम पंचायत उन्हें किराए पर उठा सके।
- **नवीन विक्रय क्षेत्र:** 2015-16 में ग्राम पंचायत ने 60 दुकानों का एक विक्रय क्षेत्र विकसित किया।
- **मार्ग कर:** पंचायत ने समीपवर्ती जल प्रपात में आने वाले यात्रियों से मार्ग कर वसूलना शुरू कर दिया। इस कर की दर विधिवत् ग्राम सभा की स्वीकृति से निर्धारित की गई।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों व सलाहकार समिति ने उन लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया जो उनकी नियमित योजनाओं के दायरे में नहीं आते थे। इसके अलावा विभिन्न सेवाओं को आखिरी छोर तक पहुँचाना सुनिश्चित किया गया।
- इसने ''मो शिक्षा'' नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को विद्यालयों की ओर आकृष्ट करता है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को नि:शुल्क स्कूल बैग, छाता और पानी की बोतल दी जाती है।
- इसने एक और कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 2000 रुपए दिए जाते हैं।
- 3000 रुपए की धनराशि ऐसे परिवारों को दी जाती है जिनके मकान जंगली हाथियों द्वारा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाते हैं।
- ग्राम पंचायत गरीब परिवारों को सामाजिक अनुष्ठानों के आयोजन के लिए 5000 रुपए की मदद देती है। इसकी दूनी धनराशि आर्थिक मदद के रूप में विधवाओं को और एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है।
- ग्राम पंचायत के पास 55 स्वयंसेवी समूह (SHG) हैं, जो मिठाइयाँ, तेल आदि उन नारियलों से बनाते हैं जो माँ तारिणी के मन्दिर में अर्पित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत साप्ताहिक बाजार के समीप एक साइकिल स्टैण्ड का भी प्रबन्धन करती है। ग्राम पंचायत माँ तारिणी मन्दिर के समीप के बाजार में नारियल की मिठाई व तेल बेचती है। ग्राम पंचायत ने घटगड़िया तालाब के समीप स्नान के लिए घाटों का निर्माण किया है और महिलाओं को वस्त्र बदलने की सुविधा के लिए एक कमरा भी बनवाया है। इसने एक कल्याण मण्डप, एक विश्राम गृह और एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया है।
- ग्राम पंचायत ने एक ग्राम पुस्तकालय बनवाया है। ग्राम पंचायत के कार्यालय में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक प्रणाली लगायी गई है और सभी कर्मचारियों को वर्दी भी दी गई है।

मुकुंदपुर ग्राम की वेबसाइट

ग्राम पंचायत ने एक वेबसाइट www.mukundapurpat-nagp.com भी शुरू की है, जो स्थानीय लोगों को चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देती है। वेबसाइट, में उन लोगों की सूची भी है, जिन्होंने ग्राम पंचायत की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया है।

कर चुकाओ, सेवाओं का लाभ उठाओ

परौदा ग्राम पंचायत महाराष्ट्र

परौदा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने विगत 15 वर्षों में एक बड़े परिवर्तन का अनुभव किया है। अब उनकी ग्राम पंचायत पहले से अधिक बेहतर हो गई है। लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं- स्वास्थ्य सुरक्षा, पीने का पानी, सामान्य स्वच्छता, सड़कें, सिंचाई के लिए पानी व सड़कों पर रोशनी आदि का ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावशाली तरीके से ध्यान रखा जाता है। यह परिवर्तन सरकार या किसी बाह्य एजेन्सी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के फलस्वरूप नहीं हुआ है। इस क्षेत्र की दूसरी पंचायतें अब भी वित्तीय चुनौती से जूझ रही हैं।

2010 तक, ग्राम पंचायत के पास अपने साधन नहीं थे और उसे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए धन उधार लेना पड़ता था। ग्राम पंचायत कोई विकास कार्य अपने स्तर पर कर सकती है, यह सोच से परे था। लोग विकास कार्यों में हाथ नहीं बंटाते थे और कर या उपयोग शुल्क भी नहीं देना चाहते थे।

आरम्भ में ग्राम पंचायत ने विभिन्न करों- सम्पत्ति कर, रिक्त भूमि कर, स्वच्छता व पेयजल कर आदि की मौजूदा दरों को संशोधित किया। ग्राम पंचायत ने कुछ नए कर व शुल्क भी लगाए। लोगों को अपने करों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते ग्राम पंचायत ने समय से कर भुगतान करने वाले हर परिवार को आटा-चक्की सेवाएं मुफ्त प्रदान करने की पहल की। इसी तरह आर.ओ. जल उन परिवारों को नाम मात्र की कीमत पर उपलब्ध कराया गया जो समय पर कर भुगतान करते थे। पहले आटा चक्की व आर.ओ. जल की परियोजनाएं- 'बनाओ, चलाओ व स्थानान्तरित करो' के सिद्धान्त पर आधारित थीं। एक विशिष्ट रणनीति बनाई गई कि प्रत्येक परिवार के घर जाकर महिलाओं को समझाओ कि वे पारिवारिक करों का भुगतान करें। निर्वाचित प्रतिनिधियों व शिक्षकों समेत अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जा कर विशेष प्रयास किए गये।

अन्ततोगत्वा कर संचय, जो सन् 2010 में मात्र 1.5 लाख रु. था, 2015 में बढ़ कर 20 लाख रु. हो गया। लोगों को कर भुगतान के लिए प्रेरित करने हेतु, पहले 10 करदाताओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में पुरस्कृत किया जाता था। परौदा ग्राम पंचायत अपने संसाधनों से निम्नलिखित योजनाएं चला रही है-

- आर.ओ. जल व आटा चक्की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्कूली बच्चों को नि:शुल्क दुग्ध वितरण।
- आँगनबाड़ी के लिए फर्नीचर व आधारभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना।
- वृक्षारोपण करना।
- स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं- शौचालय निर्माण व सामान्य स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना।
- ठोस व तरल कचरे का प्रबन्धन।
- गलियों में प्रकाश के लिए सौर-ऊर्जा पैनल लगाना, उनका रख-रखाव व मरम्मत।
- गैर- परम्परागत ऊर्जा संसाधनों का विकास।

समाजोत्प्रेरित सर्वांगीण विकास

उत्तर रायपुर ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल की एक पहल

पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के बज बज-1 ब्लॉक में, उत्तर रायपुर ग्राम पंचायत, 1978 से कार्यरत है। यह काफी बड़ी ग्राम पंचायत है जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 27,155 है। इसकी 50% से अधिक आबादी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की है। इस ग्राम पंचायत में 21 सदस्य हैं, जिनमें 10 महिलाएं हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायत नियमित रूप से अपने सभी सहभागिता मंचों का उपयोग करती है। वहां उच्चतम स्तर की आम सभा से लेकर पाँच उपसमितियों व ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र स्तर की ग्राम संसद सभाएं आयोजित की जाती हैं। ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्रोतों से (जिनमें सम्बन्धित लाइन विभाग के स्थानीय कार्यालय भी सम्मिलित हैं) द्वितीयक सूचनाएं और वार्ड स्तर पर प्राप्त विभिन्न सहभागी प्रार्थनापत्रों के माध्यम से प्राथमिक सूचनाएं एकत्रित करती है। यह कार्य पिछले वर्ष के मई महीने से किया जा रहा है। इन सूचनाओं व संसाधन समूह (सीएफसी ग्रांट, एसएफसी ग्रांट, ओएसआर, विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाइन विभाग द्वारा एकत्र धनराशि और नगद राशि, वस्तु व श्रम के माध्यम से लोगों का योगदान) के आधार पर ग्राम पंचायत नियमानुसार उपसमितियों के मतों के अनुरूप योजना और बजट का खाका तैयार करती है और इसे पूर्व वर्ष की विस्तृत वार्षिक योजना एवं बजट में समाहित कर देती है। इसे नवम्बर में होने वाली ग्राम संसद की सभा में एवं दिसम्बर में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में रखा जाता है और फिर जनवरी में होने वाली (अर्थात क्रियान्वयन वर्ष के 2 माह पूर्व) बैठक में अन्तिम रूप दिया जाता है। प्रक्रिया और योजना, बजटिंग की तैयारी व इसे अंतिम रूप देने का समयबद्ध कार्य एक श्रेष्ठ संस्थागत प्रणाली है। सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत की

उपसमितियां नियमानुसार, ग्राम पंचायत की आम सभा के हस्तक्षेप से मुक्त, प्रति योजना 25000/- रु. के खर्च पर, कार्यान्वित करती है। इसके अतिरिक्त योजनाओं का कार्यान्वयन लोगों के सक्रिय सहयोग से किया जाता है। योजना व बजटिंग के प्रमुख क्षेत्र, जिनका उद्देश्य बेहतर सेवाएं मुहैया कराना है और जिसमें उत्तर रायपुर ग्राम पंचायत ने उत्कृष्टता दिखाई है, निम्नलिखित हैं: ग्रामीण आवास, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा, ठोस व तरल कचरा प्रबन्धन, मूल-भूत ढांचे का निर्माण, ग्रामीण सड़क सम्पर्क तथा गरीबों, सुविधा विहीनों एवं वृद्धों को सामाजिक राहत। ग्राम पंचायत की कुछ प्रमुख उपलब्धियां जो कि अनुकरणीय हैं, निम्नवत हैं:

1. ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष अपने लगभग 1600000/- रु. ओएसआर का एक बड़ा भाग सामाजिक विकास की गतिविधियों में खर्च करती है। ये गतिविधियां निम्नवत हैं-सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, सुविधा विहीन महिलाओं व बच्चों का पोषण, पेयजल आपूर्ति के स्थानों का निर्माण व रखरखाव, मार्ग प्रकाश, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, सशक्तिकरण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना इत्यादि।

2. ग्राम पंचायत ने एक अद्वितीय मॉडल विकसित किया है जिसे विकास का लाभ ग्राही ग्राम पंचायत सहभागिता मॉडल कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, ग्राम पंचायत अधिकतर गतिविधियाँ लाभग्राही वर्ग (Beneficiaries) की सहभागिता में कार्यान्वित करती है। ठेकेदारों के माध्यम से किसी योजना को कार्यान्वित करने के बजाय, यह केवल मूल वस्तुओं को एक नियमित अधिप्राप्ति (Procurement) प्रक्रिया के तहत खरीदती है, जबकि लाभार्थी स्वयं योजना को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से श्रमदान करते हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिक मात्रा व अच्छी गुणवत्ता का कार्य करवाने में सफल होती है जो कि किसी ठेकेदार को काम पर लगाने से संभव नहीं होता।

3. ग्राम पंचायत, स्वच्छता पर और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कटिबद्ध है। यह हाथ-मुंह स्वच्छ रखने के कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, आईसीडीएस कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं इत्यादि के माध्यम से चलाती है।

4. ग्राम पंचायत वर्ष में दो बार, जब फसल तैयार होती है, कर संचय शिविर लगाती है।

5. ग्राम संसद व ग्राम सभा की मीटिंग में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, ग्राम पंचायत प्रत्येक परिवार को निमन्त्रण पत्र भेजती है। परिणाम यह होता है कि लगभग 50 फीसदी निर्वाचित सदस्य सभाओं में उपस्थित होते हैं।

6. ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित व्यवस्था के अनुसार ग्रामस्तरीय दल स्वेच्छा से नलकूपों व कुओं के आस-पास प्रतिदिन साफ-सफाई करते हैं और पेयजल स्रोतों की सुरक्षा व स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं।

7. ग्राम पंचायत सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग से घरों को पानी के कनेक्शन दे रही है, और इसे एक वर्ष में पूरा करने का संकल्प लिया गया है।

8. ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 21 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 7 के पास अपना कोई भवन नहीं था। ग्राम पंचायत ने इन सातों केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण कराया है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा ने इन सभी 21 केन्द्रों को पानी के कनेक्शन व शौचालय बनवा कर दिए हैं।

9. ग्राम पंचायत ने मिड-डे मील व आंगनबाड़ी केन्द्रों के भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। इसके लिए इसने अपने ओएसआर से सब्जियों, अण्डे व मछली की व्यवस्था की है। मिड-डे मील की पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत ने सभी विद्यालयों के सामने रसोई बागवानी को प्रोत्साहित किया है।

10. ग्राम पंचायत अति निर्धन परिवार के उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें व लेखन सामग्री उपलब्ध कराती है।

उत्तर रायपुर पंचायत ने सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से 10 लक्ष्य चुन लिए हैं ताकि ग्रामीण नागरिकों के सेवा स्तर में सुधार के साथ क्षेत्रीय लोगों के मौलिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। ♦

सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चम्पारण सत्याग्रह का विशेष महत्व है। वर्ष २०१७-१८ चम्पारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। अब इस सत्याग्रह के १०० वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चम्पारण एक नये अभियान स्वच्छाग्रह - खुले में शौच से स्वतंत्रता के लिए तैयार है।

अक्षय कुमार
चलो चम्पारण

अमिताभ बच्चन
चलो चम्पारण

अनुष्का शर्मा
चलो चम्पारण

स्वच्छाग्रही
स्वच्छता ही सेवा

महिला स्वच्छाग्रही

स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छता ही सेवा

5.6 करोड़ छात्रों द्वारा श्रद्धांजलि
स्वच्छता ही सेवा

सुशासन
ग्रामीण विकास

माधुरी दीक्षित
चलो चम्पारण

पं. दीनदयाल उपाध्याय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नरेंद्र सिंह तोमर
कैबिनेट मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान, भारत सरकार

पूज्य जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना से देश में काफी प्रगति देखी जा रही है। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संसदीय सदस्य द्वारा वित्त पोषित (फंड) योजना ने मजबूत और पारदर्शी ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। इससे सुशासन सुगम हुआ है, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और एसएजीवाई के कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्रोत्साहन मिला है।

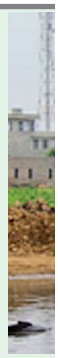

पंजाब

सांसद के मार्गदर्शन में एक गांव का परिवर्तन

जिला मुख्यालय संगरूर से लगभग 70 किमी. की दूरी पर स्थित गलाह्ली ग्राम पंचायत की सीमा हरियाणा राज्य से सटी है। यह ग्राम पंचायत श्री सुखदेव सिंह ढींढसा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ली थी।

प्रसंग

गलाह्ली ग्राम पंचायत में 3415 लोगों और 595 परिवारों की आबादी वाला एक गांव है। चूंकि ग्राम पंचायत की सीमा हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई है, इसलिए यहां पंजाब से ज्यादा हरियाणा की संस्कृति की झलक मिलती है। गलाह्ली ग्राम पंचायत संगरूर जिले की ग्राम पंचायतों में सबसे दूर-दराज और सबसे ज्यादा अविकसित ग्राम पंचायत थी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना से पहले ग्राम पंचायत

जिले के अधिकारियों के मुताबिक, दूर दराज इलाके में होने की वजह से प्रशासन की पहुंच इस गांव तक नहीं थी। पिछड़ेपन की वजह से गरीब ग्रामीण सार्वजनिक संस्थानों की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते थे। विकास कार्यों में काफी देरी होती थी। इस ग्राम पंचायत की आजीविका का मुख्य स्रोत पशुपालन और डेरी फार्म्स है। ग्राम पंचायत में कोई नाली न होने की वजह से मवेशी जनित कचरा और गंदा पानी गलियों में जमा होता रहता था। इससे गलियाँ और सड़कें हमेशा गड्ढों और कचरे से भरी रहती थीं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंदगी का काफी दुष्प्रभाव होता था। खराब पर्यावरण का असर वयस्कों की तुलना में बच्चों पर ज्यादा पड़ता था, इसकी वजह से बच्चों को मच्छर-जनित और जलजनित रोगों का विशेष खतरा रहता था। ये बीमारियां पर्यावरण में गंदगी से ही फैलती हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से परिवर्तन : योजना के तहत हस्तक्षेप

हाल में माननीय सांसद श्री सुखदेव सिंह ढींढसा ने एक महीने के अंदर कई बार वहां जाकर विकाय कार्यों का निरीक्षण किया है और फॉलोअप के जरिए सुधार के उपाय सुनिश्चित किये हैं। ग्राम पंचायत को गोद लिए जाने के बाद से वहां की हर विकास गतिविधि की पहल सांसद के

प्रभाव

ग्राम पंचायत की ग्राम विकास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 16 मुख्य गतिविधियों को ग्राम पंचायत पूरा कर चुकी है। ये सभी गतिविधियां बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनसे ग्रामीणों की दिनचर्या में उल्लेखनीय विकास हो रहा है।

ग्रामीणों द्वारा निर्मित मवेशी तालाब

निजी मार्गदर्शन में की जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत रिसाइक्लिंग स्ट्रक्चर की अनोखी पहल शुरू की गई, जिससे पर्यावरण और जन-जीवन, दोनों को काफी लाभ हुआ है। विकास की इस पहल में ग्रामवासियों और सरकारी संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करना होता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी माननीय सांसद के कंधों पर ही थी।

मवेशियों के एक बड़े तालाब का ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के मिले-जुले प्रयासों से जीर्णोद्धार किया गया।ग्राम पंचायत ने दीवारों के निर्माण के लिए 8000 रुपए खर्च किए, जबकि अधिकांश काम लोगों के श्रमदान के जरिये पूरा किया गया। पूरे परिदृश्य का अध्ययन करने के बाद ग्रामीण विकास योजना तैयार की गई। ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार विभागों से विचार-विमर्श के बाद आगे की कार्यप्रणाली तय की गई। माननीय सांसद के नेतृत्व में ग्राम पंचायत ने कई जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जिससे ग्रामीणों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखा गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत ने बस सेवा की शुरुआत, दो बस अड्डों का निर्माण, सबके लिए आधार कार्ड, कब्रिस्तान का निर्माण, जमीन का विकास, श्मशान घाट, स्कूल का उन्नयन, पंचायत घर का निर्माण, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य कार्ड बनाने जैसी विकासात्मक गतिविधियाँ पूरी की हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के हस्तक्षेप का भुगतान : प्रभाव

माननीय सांसद ने एक अस्वच्छ ग्राम पंचायत को स्वच्छ ग्राम पंचायत में बदलने की यात्रा का नेतृत्व किया है। ग्रामीण अपने सांसद के आभारी हैं, खासकर वॉटर रिसाइक्लिंग की संरचना के लिए। वीडीपी के सभी कार्य जो पूरे हो चुके हैं या जारी हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनसे ग्रामीणों की दिनचर्या में काफी महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। सभी ने विकास गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में अपनी प्रभावी सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण विकास की कहानी मिलकर लिखी है। उन्होंने अपनी सेवाओं का योगदान किया है। ♦

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

यह कहानी है एक विशेष अभियान जिसके अंतर्गत ग्रामवासियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का अभियान चलाया गया।

करुलाई ग्राम पंचायत केरल राज्य में नीलाम्बर तालुक में स्थित है। यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय मलाप्पुरम से 48 किमी. दूर है। इसके सबसे निकट का शहर मनजेरी है जिसकी दूरी 35 किमी. है। राज्यसभा सांसद श्री पी.वी. अब्दुल वहाब ने करुलाई ग्राम को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद लिया है। लोगों को जागरूक करने के लिए दो वाहन, (जिन पर लाउडस्पीकर लगे हुए थे और प्रोग्राम के बारे में लिखे हुए बोर्ड थे) पूरी ग्राम पंचायत में जागरूकता फैलाने के लिये लगातार दौड़ते रहे। जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में स्वयंसेवक हर वॉर्ड में गए। जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप पूरे गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना में नामांकन करा लिया। लगभग 1500 स्वयंसेवक इस अभियान में शामिल हुए। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने साथ एक बस्ता रखता था जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के सन्देश, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिये आवेदन पत्र, पेन, स्टिकर्स और सील पैड इत्यादि सामान रहता था। ♦

सांसद महोदय के साथ स्वयंसेवक

प्रभाव

स्वयंसेवकों की इस मेहनत और तैयारी के परिणामस्वरूप मात्र एक दिन में 7455 सदस्य प्रधानमंत्री जन धन योजना और 16741 सदस्य प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ गए। इसमें असहाय, निर्धन और आदिवासी परिवारों का प्रीमियम ग्रामवासियों द्वारा भरा गया।

डीडीयू-जीकेवाई की सफलता की कुछ कहानियाँ नीचे दी गई हैं

''डीडीयू-जीकेवाई ने मुझे एक सम्मानजनक नौकरी दी है जिस पर मुझे गर्व है''

ओडिशा में कंधमाल जिले से रुकसाना के परिवार में तीन लोग हैं, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार चलाने की सारी ज़िम्मेदारी उनके ही कंधों पर आ गई थी। आज, वह लाइफ सर्कल हेल्थ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद में एक प्रोफेशनल केयर गिवर के तौर पर काम करती हैं। उन्हें हर महीने 11,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और जल्द ही रुकसाना को प्रमोशन भी मिलेगा। रुकसाना से 91-7093043-562 पर संपर्क किया जा सकता है।

''मैंने अपने पिता से उनका इलाज होने के बाद पूरी तरह आराम करने के लिए कहा था। अब मैं अपने परिवार का ध्यान रखती हूँ''

संगीता कुमारी झारखंड में चतरा जिले से हैं, पांच लोगों के एक किसान परिवार की सबसे बड़ी संतान संगीता ने रांची में माइनैक्स (आदित्य बिड़ला ग्रुप बीपीओ) में काम करने के बाद अपने पिता के टीबी के इलाज में आर्थिक सहयोग किया। वह प्रति माह 10,500 रुपए कमाती हैं। संगीता से 91-9546383158 पर संपर्क कर सकते हैं।

''मेरी ज़िन्दगी ने एक मोड़ लिया। उसमें बेहतरी के लिए बदलाव हुआ''

बिहार में जमुई जिले के रमाकांत पासवान को अपनी पढ़ाई के लिए माता-पिता का पूरा सहयोग मिला लेकिन सही नौकरी नहीं मिल सकी। आज, वह 12,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर सेल्स एसोसिएट के तौर पर लेयान ग्लोबल में काम कर रहे हैं। रमाकांत से 91-8960914912 पर संपर्क किया जा सकता है।

आरएसईटीआई की सफलता की कुछ कहानियाँ हैं:

रोहतक की बीरमति कुमारी ने स्नातक पाठ्यक्रम पूरा किया लेकिन उन्हें कहीं सही नौकरी नहीं मिली। पीएनबी आरएसईटीआई रोहतक में नामांकन कराने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक अपना ब्यूटी पार्लर खोला, जिससे वह हर महीने 35,000-40,000 रुपए कमा लेती हैं। वह अपने ग्राहकों को अपनी सफलता की कहानी सुनाती हैं और शहरी व ग्रामीण महिलाओं को आरएसईटीआई में नामांकन कराने तथा उनकी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। बीरमति से 91-9896901776 पर संपर्क किया जा सकता है।

''जिस दिन मैंने अपनी पहली तनख्वाह अपने माता-पिता के हाथ में रखी वो मेरी ज़िन्दगी का सबसे गौरवशाली पल था''

ओडिशा के कंधमाल जिले के सराजा मुथामाझी अपने पिता के साथ खेत में काम किया करते थे। आज वह भुवनेश्वर के अमेज़न वेयरहाउस में सेंटर एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं और 11,439 रुपए प्रति माह कमाते है। सराजा से 91-7790004408 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

शाहाबाद के मंजीत सिंह

मंजीत सिंह ने 3 साल की आयु में अपने दोनों पैर गँवा दिये थे। मंजीत के गरीब पिता, 'राज मिस्त्री' ने उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की लेकिन मंजीत को कोई नौकरी नहीं मिल पाई। इसने 'बिजली के घरेलू सामान ठीक करने' का प्रशिक्षण लिया। आज वह 'मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स' नाम से एक दुकान चला रहा है और प्रति महीना 48 हजार रुपए कमा रहा है। मंजीत अब अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं है और वह शाहाबाद के बेरोज़गार युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। मंजीत से 91-9416192839 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

पंचायती राज मंत्रालय

विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान

विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ

भारत सरकार ने 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए) का शुभारंभ किया था। यह अभियान 29 राज्यों में 484 जिलों में स्थित 16850 गांवों में शुरू किया गया था। यह अभियान भारत सरकार के 7 प्रमुख कार्यक्रमों को गांवों में कवरेज को संतृप्त/परिपूर्ण करने के उद्देश्य से चलाया गया था। ये निम्नवत हैं:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
- सभी के लिए किफायती एल ई डी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
- मिशन इंद्रधनुष

इस अभियान की सफलता को देखते हुए, भारत सरकार 115 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को कवर करने के लिए 1.6.2018 से 15.08.2018 तक जीएसए का दूसरे चरण का शुभारंभ कर रही है। ऐसे 45137 गांव हैं। इसके अलावा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के 4208 गांवों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा जिन्हें चुनाव के कारण जीएसए के पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था।

प्रधानमंत्री जन धन योजना 2
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 3
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 4
मिशन इंद्रधनुष 5
उजाला 6
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 6
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 7

प्रधानमंत्री जन धन योजना

वित्तीय सेवाओं के लिए वित्तीय मिशन, अर्थात बैंकिंग/बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन को एक किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन, पीएमजेडीवाई घरों के रखरखाव/कवरेज पर केंद्रित है।

किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस करस्पॉडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में एक खाता खोला जा सकता है। 10 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

- खाता खोलने में न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं है।
- उपलब्ध सेवाओं में बैंक शाखा में नकदी जमा और निकासी शामिल है क्योंकि एटीएम के रूप में डब्ल्यूएल, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन की प्राप्ति/क्रेडिट या चेक के संग्रह/प्रेषण के द्वारा हो सकता है।
- एटीएम निकासी सहित एक महीने में अधिकतम 4 निकासी।
- एटीएम-सह डेबिट कार्ड की सुविधा। (रुपे डेबिट कार्ड)। रुपे डेबिट कार्ड एक घरेलू डेबिट कार्ड है, जो सभी एटीएम (नकद निकासी के लिए) और देश में अधिकांश पीओएस मशीनों (खरीद के लिए नकदी रहित भुगतान करने के लिए) पर स्वीकार किया जाता है। कार्ड 1 लाख रुपये तक आकस्मिक बीमा बिना किसी शुल्क के प्रदान करता है।
- पीएमजेडीवाई के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का दावा देय होगा यदि रुपे कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले न्यूनतम सफल वित्तीय या गैर वित्तीय ग्राहक प्रेरित लेनदेन किया है।
- 5000/- रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते के संतोषजनक लेनदेन के 6 महीने बाद प्रति पीएमजेडीवाई परिवार के एक ई-खाता धारक को उपलब्ध होगा।
- ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों, वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर के साथ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़/पहचान पत्र या व्यक्ति के एक विधिवत प्रमाणित तस्वीर के साथ, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र पेश करके खाता खोला जा सकता है।

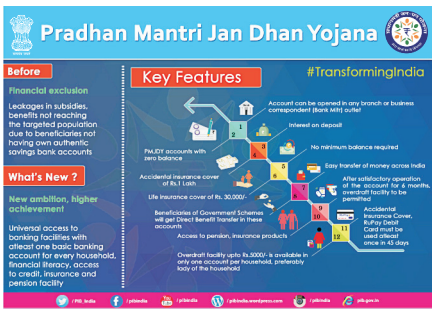

प्रधानमंत्री जन धन योजना:

यह योजना गरीब जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई जा रही है।

- कुल लाभार्थी 31.67 करोड़
- लाभार्थियों के खाते में ₹ 81,108.57 करोड़ शेष राशि

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

पीएमएसबीवाई एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मौत या विकलांगता के लिए आकस्मिक मौत और अक्षमता कवर प्रदान करती है। यह योजना बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है।

यह योजना एक वर्ष का कवर प्रदान करती है, जो साल-दर-साल नवीनीकृत होती है। इसका वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है। नामित बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट में शामिल/भुगतान करने का एक विकल्प है जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई तक निर्धारित रूप पर विकल्प देना आवश्यक है। प्रत्येक वार्षिक कवर-आयु अवधि के पहले जून से पहले या उससे पहले एक किस्त में 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बचत बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा।

आकस्मिक मौत या पूर्ण विकलांगता के मामले में, नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का और आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित किया जाता है। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा।

सदस्य के लिए दुर्घटना कवर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने या बैंक में खाते के बंद होने या बीमा को लागू रखने के लिए शेष राशि की कमी होने पर समाप्त हो जाएगा। यदि बीमा जैसे देय तिथि पर अपर्याप्त शेष राशि जैसे ऐसे तकनीकी कारणों के कारण बंद कर दिया जाता है तो इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की प्राप्ति पर बहाल किया जा सकता है। यह निर्धारित की जा सकने वाली शर्तों के अधीन है।

जन सुरक्षा स्कीम
राष्ट्रीय टोल फ्री नं.

1800-180-1111
1800-110-001

लक्षद्वीप	1800-4259-7777
मध्य प्रदेश	1800-233-4035
महाराष्ट्र	1800-102-2636
मणिपुर	1800-345-3858
मेघालय	1800-345-3658
मिजोरम	1800-345-3660
नागालैण्ड	1800-345-3708
ओडिसा	1800-345-6551
पुडुचेरी	1800-4250-0000
पंजाब	1800-180-1111
राजस्थान	1800-180-6546
सिक्किम	1800-345-3256
तेलंगाना	1800-425-8933
तमिलनाडु	1800-425-4415
उत्तराखण्ड	1800-180-4167
बंगाल एवं त्रिपुरा	1800-345-3343

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सरकार समर्थित जीवन बीमा है जो एक साल का कवर प्रदान करता है, साल-दर-साल नवीकरणीय, बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर की पेशकश करती है।

भाग लेने वाले बैंकों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इसमें शामिल होने के हकदार होंगे। यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्दिष्ट फॉर्म पर नामित बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट द्वारा शामिल/भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक दिया जाना आवश्यक है।

प्रीमियमः इसका वार्षिक प्रीमियम प्रति सदस्य 330 रुपए प्रति वर्ष है ।इस योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले दिए गए विकल्प के अनुसार, एक किस्त में 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बचत बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा।

लाभः किसी भी कारण से सदस्य की मृत्यु पर 2 लाख रुपए देय है।

सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्न में से किसी भी घटना पर समाप्त होगा और कोई लाभ इसके तहत देय नहीं होगाः

1) उस तारीख तक वार्षिक नवीनीकरण के अधीन 55 वर्ष (जन्म दिन के निकट उम्र) प्राप्त करने पर (प्रवेश, हालांकि, 50 साल की उम्र से अधिक संभव नहीं होगा)।
2) बीमा को लागू रखने के लिए बैंक के साथ खाते का बंद होना या बैलेंस की कमी।
3) यदि किसी सदस्य को पीएमजेजेबीवाई के तहत एलआईसी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया जाता है और प्रीमियम एलआईसी/अन्य कंपनी द्वारा अनजाने में प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर 2 लाख रुपए और प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
4) यदि बीमा कवर किसी भी तकनीकी कारणों से समाप्त हो गया है जैसे देय तिथि पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी भी प्रशासनिक मुद्दों के कारण, इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त करने और अच्छे स्वास्थ्य के संतोषजनक बयान पर बहाल किया जा सकता है।

जन सुरक्षा स्कीम
राष्ट्रीय टोल फ्री नं.

1800-180-1111
1800-110-001

आन्ध्र प्रदेश	1800-425-8525
अण्डमान नीकोबार द्वीप समूह	1800-345-4545
अरुणाचल प्रदेश	1800-345-3616
असम	1800-345-3756
बिहार	1800-345-6195
चण्डीगढ़	1800-180-1111
छत्तीसगढ़	1800-233-4358
दादरा एण्ड नगर हवेली	1800-225-885
दमन एण्ड दीव	1800-225-885
दिल्ली	1800-1800-124
गोवा	1800-2333-202
गुजरात	1800-225-885
हरियाणा	1800-180-1111
हिमाचल प्रदेश	1800-180-8053
झारखण्ड	1800-345-6576
कर्नाटक	1800-4259-7777
केरल	1800-425-11222

प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना

मिशन इंद्रधनुष (एमआई)

कार्यक्रम को मजबूत, सबल बनाने और तेज गति से सभी बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दो साल से कम उम्र के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूरी तरह से टीकाकरण किया जाता है।

इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने देश के उन राज्यों में उच्च फोकस जिलों की पहचान की जिनके पास आंशिक रूप से प्रतिरक्षित और अप्रतिरक्षित बच्चों की अधिक संख्या है। मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों के दौरान कुल 528 जिलों को कवर किया गया था। प्रधानमंत्री ने 90% से अधिक कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 08-अक्टूबर-2017 को देश के चुनिंदा जिलों और शहरी क्षेत्रों में तीव्र मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) कार्यक्रम लॉन्च किया।

आईएमआई 2 साल तक की उम्र के बच्चों और नियमित टीकाकरण से चूकने वाली गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। हालांकि, आई एम आई राउंड के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों का मांग पर टीकाकरण किया जाएगा। आई एम आई के शुभारंभ के साथ, लक्ष्य की उपलब्धि अब 2020 से पहले दिसंबर 2018 तक में उन्नत हो गई है। बचपन की बीमारियों के खिलाफ निवारक का पूर्ण टीकाकरण हर बच्चे का अधिकार है।

आयु	टीका
जन्म	Bacillus Calmette Guerin (BCG), Oral Polio Vaccine (OPV)-0
6 हफ्ते	OPV-1, Pentavalent-1, Rotavirus Vaccine (RVV)-1***, Fractional dose of Inactivated Polio Vaccine (fIPV)-1, Pneumococcal
10 हफ्ते	OPV-2, Pentavalent-2, RVV-2***
14 हफ्ते	OPV-3, Pentavalent-3, fIPV-2, RVV-3***, PCV-2***
9-12 माह	Measles-1 or Measles & Rubella (MR)-1***, JE-1* , PCVBooster***
16-24 माह	Measles-2 or MR-2***, JE-2*, Diphtheria, Pertussis & Tetanus (DPT)-Booster-1, OPV –Booster
5-6 वर्ष	DPT-Booster-2
10 वर्ष	Tetanus Toxoid (TT)
16 वर्ष	TT
गर्भवती माँ	TT1, 2 or TT Booster**

बचपन की बीमारियों के खिलाफ निवारक का पूर्ण टीकाकरण हर बच्चे का अधिकार है।

सभी के लिए किफायती एलईडीज़ द्वारा उन्नत ज्योति- उजाला

- 30,08,15,385 एलईडी बल्ब वितरित
- प्रति वर्ष 39066 एमएन किलोवाट ऊर्जा बचाई गई
- प्रति वर्ष 3,16,43,453

उजाला योजना का उद्देश्य आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है; उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऊर्जा के बचाव हेतु कुशल उपकरणों का उपयोग करने की प्रभावकारिता और उच्च प्रारंभिक लागत को कम करने की मांग को औसत करने से आवासीय उपयोगकर्ताओं द्वारा एलईडी रोशनी के उच्चतम प्रयोग को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। उजाला उपकरणों को 70 रुपये प्रति एलईडी बल्ब, 220 रुपये प्रति एलईडी ट्यूबलाइट और 1,110 रुपये प्रति फैन पर खरीदा जा सकता है। यह पहल देश में ऊर्जा दक्षता के संदेश को फैलाने का भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

प्रत्येक घरेलू परिवार अपने संबंधित विद्युत वितरण कंपनी से मीटर कनेक्शन होने पर उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब प्राप्त करने का पात्र है। उपभोक्ता ईएमआई भुगतान (बिजली बिल में मासिक/ द्विपक्षीय किश्तों) या पूर्ण राशि का भुगतान करके अग्रिम भुगतान पर एलईडी खरीद सकता है। उजाला एलईडी बल्ब प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को निम्नलिखित दस्तावेज देना होगा:

1) **ईएमआई खरीद के लिए**- नवीनतम बिजली बिल की प्रतिलिपि और सरकारी प्राधिकृत आईडी प्रमाण की प्रति।
2) **अग्रिम खरीद के लिए**- सरकार अधिकृत आईडी सबूत की प्रति।

उजाला एलईडी बल्बों को शहर में निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित विशेष काउंटर (कियोस्क) के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। ये खुदरा स्टोर पर उपलब्ध नहीं होंगे। वितरण काउंटर का स्थान विवरण www.ujala.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें स्थान उपभोक्ता सुविधा के लिए भू-टैग किए गए हैं।

यदि एलईडी बल्ब तकनीकी दोषों के कारण काम करना बंद कर देता है, तो ईईएसएल तीन साल की अवधि के लिए मुफ्त में प्रतिस्थापन प्रदान करता है। सभी प्रतिस्थापन नामित प्रतिस्थापन/वितरण कियोस्क के माध्यम से किए जाते हैं।

एलईडीज़ बल्ब- उजाला योजना

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य

- हर घर को बिजली प्रदान करना
- 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया
- 11 अक्टूबर 2017 से 63,74,234 परिवार जुड़े

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्युतीकरण किये गये घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई एक योजना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब परिवारों में सौभाग्य के तहत सभी परिवारों (एपीएल और गरीब परिवार दोनों) को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे तथा शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों को भी। शहरी इलाकों में गैर-गरीब शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

डिफॉल्टर्स जिनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। हालांकि, उपयोगिता मानदंडों के अनुसार पुराने बकाया और पुनः कनेक्शन के निपटारे पर विचार कर सकते है। गैर-विद्युतीकृत परिवारों के बिजली कनेक्शन में तकनीकी लाइन विनिर्देशों और

निर्माण मानक के अनुरूप सेवा लाइन केबल, प्री-पेड/स्मार्ट मीटर, एकल बिंदु तारों, एलईडी लैंप और संबंधित सहायक उपकरण सहित ऊर्जा मीटर का प्रावधान शामिल है।

दूरस्थ और दुर्गम गांवों/ निवासियों में, जहां ग्रिड विस्तार व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है, अनियंत्रित परिवारों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली प्रदान की जाएगी। यहां अधिकतम 5 एलईडी रोशनी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग इत्यादि के साथ 200 से 300 डब्ल्यूपी (बैटरी बैंक के साथ) के पावर पैक 5 साल के लिए मरम्मत और रखरखाव (आर एंड एम) के प्रावधान के साथ प्रदान किए जाएंगे।

इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए संभावित लाभार्थी परिवारों को एसईसीसी 2011 डेटा का उपयोग करके पहचाना जाएगा। हालांकि, एसईसीसी डेटा के तहत शामिल नहीं किए गए अनियंत्रित परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर योजना के तहत बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे जिन्हें बिजली बिल के माध्यम से 10 किश्तों में डिस्कोम द्वारा वसूल किया जाएगा।

सौभाग्य योजना के तहत, डिस्कोम गांवों/गांवों के समूह में शिविर आयोजित करेगा ताकि घरों के लिए बिजली कनेक्शन जारी करने सहित आवेदन पत्रों को भरने की सुविधा मिल सके। उपभोक्ताओं का विवरण; जैसे नाम और आधार संख्या/मोबाइल नंबर/ बैंक खाता/ड्राइविंग लाइसेंस/ मतदाता पहचान इत्यादि, जो उपलब्ध हो, डिस्कोम द्वारा संग्रहित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- लाभार्थी का चयन बीपीएल परिवार से होगा
- एससी-एसटी परिवारों और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी
- एलपीजी तक पहुंच के बिना बीपीएल परिवार की एक महिला निकटतम एलपीजी वितरण के लिए निर्धारित प्रारूप में नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकती है
- आवेदन पत्र के साथ वह पता, बैंक खाता और स्वयं और परिवार के सदस्यों की आधार संख्या जैसे विवरण जमा करेगी।
- एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणी जाति प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड में उल्लिखित/पीएमए लाभार्थियों के लिए पीएमए प्रमाणपत्र/ अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)- एएवाई राशन कार्ड
- एसईसीसी 2011 की सूची के अलावा लाभार्थियों के लिए, पूरक केवाईसी के अनुसार 14 बिंदु की घोषणा पूरी तरह से भरे
- लाभार्थी आवश्यकता के अनुसार एक पैकेज का चयन कर सकते हैं
- लाभार्थी हाट प्लेट और पहली एलपीजी रीफिल (1230 रुपये/रुपये 1650 लगभग 2 बर्नर हॉटप्लेट और 5 या 14.2 किलोग्राम रिफिल के लिए) के लिए भुगतान कर सकता है या तेल कंपनी से ऋण ले सकता है और 7 वीं रीफिल योजना से किश्तों में भुगतान कर सकता है।

गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने से स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर असर पड़ता है।

- 715 जिलों को कवर किया गया
- 3,98,77,723 बीपीएल एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए
- 1906: एलपीजी रिसाव शिकायतों के लिए 24x7 हेल्पलाइन

विवरण	5 किलोग्राम	14.2 किलोग्राम सिलेंडर पैकेज
सुरक्षा जमा सिलेंडर	800	1250
सुरक्षा रैग्युलेटर	150	150
सुरक्षा नली 1.2 मीटर	100	100
डीजीसीसी पुस्तिका	25	25
निरीक्षण/स्थापना/ प्रदर्शन/दस्तावेज़ीकरण लागत	75	75
कुल लागत/कैश सहायता	1150	1600

विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान - फेस 2 के अन्तर्गत आने वाले गांव

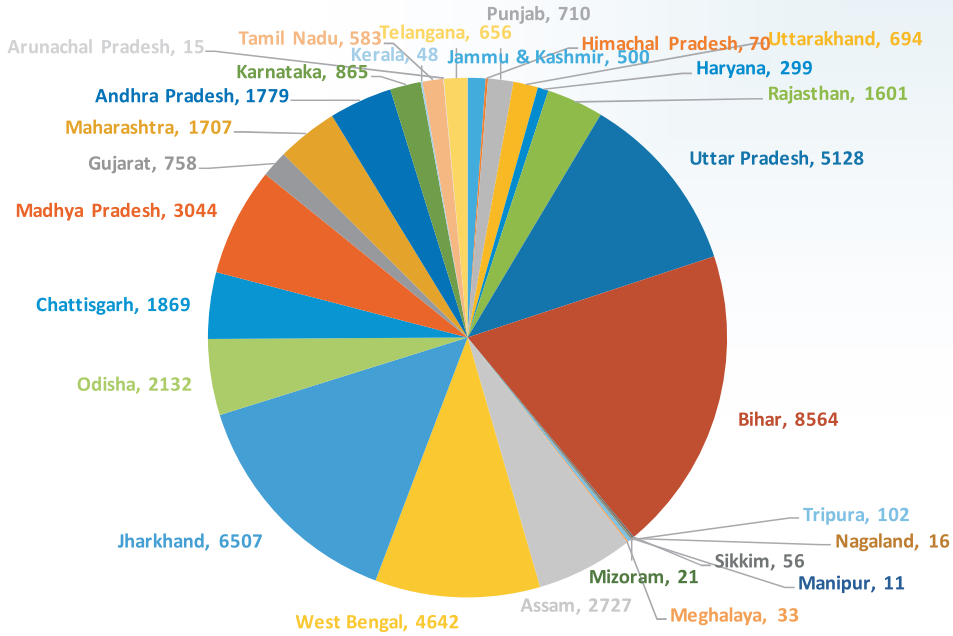

पंचायती राज मंत्रालय,
भारत सरकार।

www.panchayat.gov.in
http://gsa.nic.in

पंचायती राज
PANCHAYATI RAJ

एक आदर्श खेत का उदाहरण

जिलाकलपल्ली जंगा रेड्डी जैसे किसानों के लिये कृषि- तालाब सफलता की कहानी बन गए हैं और ऐसा मनरेगा से जुड़ने के कारण ही संभव हो पाया है।

जिलाकलपल्ली जंगा रेड्डी तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले में इब्राहीमपटनम मण्डल के रायपोल गांव में रहते हैं। पूर्व में दक्षिण पठार के इस क्षेत्र में वर्षा का औसत लगभग 450-500 सेमी. था। पिछले कुछ साल से वर्षा की स्थिति में अनिश्चितता देखी जा रही है और औसत वर्षा में कमी भी आई है। परिणामस्वरूप न केवल खेती के लिए वरन पीने के लिए भी पानी की कमी होने लगी। इस जिले के किसान मुख्यत: वर्षा पर आश्रित रहते हैं और सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं है। इस परिस्थिति में किसान मुख्य रूप से बाजरा और चने की खेती करते हैं। बाजरा और चना उनकी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताएं तो पूरी कर देते हैं, परन्तु उन्हें कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं हो पाती है, जिससे परिवार का भरण-पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। वर्ष 2015 के भीषण जल संकट के दौरान गांव के सारे कुएं और बोरवेल सूख गए। पूरे गांव में पानी की कमी से हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने जंगा रेड्डी की सहमति से तय किया कि उनकी जमीन पर एक तालाब बनवाया जाए जिसमें बेकार बह जाने वाला पानी इकट्ठा किया जा सके। जल्द ही मनरेगा के अन्तर्गत एक तालाब खोदा गया। संयोग से उस वर्ष रायपोल में बारिश भी अच्छी हुई और रेड्डी का तालाब ऊपर तक भर गया। भरा तालाब देखकर रेड्डी बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने उस वर्ष टमाटर उगाने का निश्चय किया। श्री रेड्डी ने सिंचाई के लिए एक मोटर और छिड़काव करने वाली मशीन की व्यवस्था की। टमाटर की अच्छी फसल के लिए किसान को न पूरा ध्यान देना पड़ता है और नियमित आधार पर सिंचाई भी करनी पड़ती है। रेड्डी ने ऐसा ही किया और टमाटर की अच्छी फसल तैयार हो गई। उस समय तक बाजार में टमाटर का भाव 20 रु. प्रति किलोग्राम था। अच्छी फसल होने के कारण रेड्डी को लगभग 20000/- रु. का लाभ हुआ। रेड्डी को एक दूसरा फायदा यह भी हुआ कि सिंचाई के अतिरिक्त तालाब का पानी मवेशियों के पीने के भी काम आने लगा। तालाब में एकत्रित पानी से भूमिगत जल भी रिचार्ज हुआ है जिससे सूख गए कुओं में फिर से पानी आ गया है। ♦

प्रभाव

मनरेगा के सहयोग से तालाब का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। इससे रेड्डी की न केवल आमदनी बढ़ी वरन उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। अब उन्हें अपने क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में जाना जाता है और पड़ोसी गांव के किसान उनके खेत पर आकर रेड्डी के अनुभवों का लाभ उठाते हैं। अब किसान रेड्डी की सफलता देख कर अपने बारे में काफी आशान्वित और उत्साहित हैं।

कूड़े-कचरे से जैविक खाद तक

मनरेगा के सहयोग से वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ गई है और इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है।

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के वालाजाह ब्लॉक की थिरुपरकडल ग्राम पंचायत अपने थुईमाई कवालर (पर्यावरण कर्मचारी) के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिनके कारण उनका गांव साफ सुथरा है। वहाँ कूड़े कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था है। इस क्षेत्र में एक ओर जहां सरकारी सब्सिडी के बावजूद खाद के दाम बहुत अधिक थे और वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं थी, वहीं दूसरी ओर कम्पोस्ट का पूरा उपयोग भी नहीं हो पा रहा था। इस क्षेत्र में लगभग 400 किसान 2500 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। इसे देखते हुए यहां व्यावसायिक स्तर पर कम्पोस्ट के उत्पादन और बिक्री की प्रचुर संभावनाएं मौजूद थीं।

ग्राम पंचायत ने इस क्षेत्र में वर्मी-कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देने का निश्चय किया। ग्राम पंचायत के लोगों ने देखा कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से न केवल जमीन की उर्वरता घटी है बल्कि पैदावार में भी कमी आई है। वर्मी-कम्पोस्ट न केवल जमीन की उर्वरता बढ़ाती है बल्कि उसमें केंचुए भी सहायता करते हैं। केंचुए व अन्य जैविक पदार्थों से मिट्टी के तत्व में सुधार आता है और यह पानी रोकने में सहायक होती है। यह सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है।

यह परियोजना मनरेगा के अन्तर्गत आरम्भ की गई। वर्मी-कम्पोस्ट उत्पादन सुविधा की कुल लागत 90000/- रु. थी। इसमें 64,647/- रु. सामान पर खर्च किए गए। एक लाख 3 हजार, 537 रुपये के मानव-दिवसों का सृजन किया गया। 7.00 मी. × 3.50 मी. साइज की एक वर्मी-कम्पोस्ट उत्पादक इकाई लगाई गई।

प्रभाव

इस इकाई ने 1.2 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन किया है। इस 5 किलो और 1 किलो के पैकेट में बेचा जाता है। किसानों द्वारा खरीद के अलावा, पंचायत ने वर्मी-कम्पोस्ट का एक बाजार भी विकसित किया है। इस खाद की आपूर्ति ब्लॉक की सरकारी नर्सरियों, सड़क के किनारे लगाए जाने वाले पौधों व मनरेगा के तहत चलाए जा रहे पौधारोपण अभियानों में की जाती है। इस प्रकार पंचायत ने सरकारी नर्सरी आदि में आपूर्ति द्वारा किसानों और स्व-सहायता समूहों की आय बढ़ाने में मदद दी है।

वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन के लिये 9 गड्ढे बनाये गये। इसकी माप थी- 1. 50 मी. × 0.90 मी. × 0.75 मी.। इन्हें घास-फूस से ढंक कर 2 गड्ढों को वर्मी कल्चर के के वास्ते उपायों में लाया जाता है और शेष 7 गड्ढे वर्मी-कम्पोस्ट बनाने के लिए हैं। इन गड्ढों को ढालदार बनाया जाता है ताकि तल में पानी एकत्र न हो सके। ढंके हुए गड्ढों के चारो ओर एक हरा जाल भी लगाया जाता है ताकि वहां छाया बनी रहे और कम्पोस्ट गड्ढों को चिड़ियों से बचाया जा सके।

वर्मी कम्पोस्ट बनाने में कई बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कंकड़ और रेत की 15 सेमी मोटी परत तल में बिछाई जाती है ताकि पानी का निकास हो सके। बाद में प्री-डाइजेस्टेड कम्पोस्ट की 60 से 90 सेमी. की ऊंचाई तक की एक परत बिछाई जाती है। बाद में गड्ढों में केंचुए डाले जाते हैं और अगले दिन पानी का छिड़काव किया जाता है। चार थुईमाई कवालर (पर्यावरण कर्मचारी) वर्मी-कम्पोस्ट की व्यवस्था में लगाए जाते हैं। स्थानीय स्व-सहायता समूह के 6 सदस्यों को इस इकाई के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ♦

त्रिपुरा की मोनारकच सेन्ट्रल नर्सरी अपने आप में अनूठी है, क्योंकि बांस की यह अकेली नर्सरी है और यह वन विभाग और मनरेगा के सहयोग का एक सफल उदाहरण है।

बांस उत्पादन की नर्सरी

बांस अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से इसका इस्तेमाल होता है और बांस का एक अपना अर्थशास्त्र है। यहां की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। इसलिये बांस के बीज प्राप्त करने के लिए एक बांस नर्सरी खोलने की आवश्यकता महसूस की गई। बांस की नर्सरी को Bambustem (ऐसा बगीचा जो बांस के पौधों से भरा हो) भी कहते हैं। बांस की नर्सरी के लिए यह बेहतर है कि छोटी-छोटी तमाम नर्सरियों की जगह एक बड़ी नर्सरी बनाई जाए। बड़ी नर्सरी लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही जगह पर सभी को बांस उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज प्राप्त हो जाते हैं। बांस के बीज वैज्ञानिक विधि से उगाये जाते हैं और इन्हें लगाने से बांस की खेती अच्छी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि मनरेगा के सहयोग से त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में कठालिया ब्लॉक के मारचुक में बांस की नर्सरी स्थापित की जाए। मोनारचक सेन्ट्रल नर्सरी के विकास के प्रारंभिक दौर में तकनीकी सहयोग की आवश्यकता वन विभाग ने पूरी की और इसका भरपूर लाभ भी मिला। सेन्ट्रल नर्सरी ने पौधारोपण कार्यक्रम में सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में योगदान किया। जिन व्यक्तियों के पास मनरेगा के जॉब कार्ड्स नहीं थे, उन्हें जॉब कार्ड्स उपलब्ध कराए गये ताकि वे नर्सरी विकसित करने में सहायता कर सकें। बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगभग 98 लाख रु. का खर्च आया और यह मनरेगा की निधि से प्राप्त हो गया। इस तरह बांस उगाने के लिए लोगों को पर्याप्त धनराशि आसानी से उपलब्ध हो गई। नर्सरी में 300 स्थायी ट्रांसप्लान्ट बेड बनाए गये हैं। एक बेड की लम्बाई 15 फीट और चौड़ाई 4 फीट है। इन बेडों में कई वर्षों तक विभिन्न प्रजातियों के 500-750 पॉली बैग सीडलिंग पैदा किए जा सकते हैं। सेन्ट्रल नर्सरी में कई वर्मी-कम्पोस्ट (Vermi-Compost) इकाइयां हैं जो अच्छी गुणवत्ता की जैविक खाद बनाती हैं। बांस की नर्सरियों में इस खाद का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इस बुनियादी सुविधा से बांस उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। बांस का उपयोग मछली मारने वाली बंसी बनाने, झाड़ू के हैण्डल बनाने, परदे बनानें, बॉस्केट, चटाई, झोपड़ी, अगरबत्ती, वाद्य-यन्त्र, खेल का सामान और खिलौने आदि बनाने में होता है। बांस उत्पादन की इस नर्सरी से यहां के लोगों की आमदनी में काफी वृद्धि हुई है। खेती से होने वाली आमदनी अलग है। ♦

प्रभाव

यह परियोजना जमीन से जुड़े लोगों और पौधारोपण कार्य के इच्छुक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को, मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने में सक्षम है। किसान बांस उत्पादन से आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पालक्कड़ जिले में पोल्ट्री इकाइयाँ

केरल राज्य के ब्रॉयलर चिकन उद्योग में तेजी से बदलाव आया है। केरल राज्य पोल्ट्री विकास निगम, अन्य विभागों के साथ कुडुम्बश्री मिशन राज्य का इतिहास दोहराने में सहायता कर रहा है।

भारतीय मुर्गी पालन उद्योग पिछड़ेपन से उबर कर एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक टेक्नो कॉमर्शियल उद्योग के रूप में हाल के दिनों में परिवर्तित हो गया है।

ब्रॉयलर चिकन

ब्रॉयलर (गैल्लस गैल्लस डोमेस्टिकस) चिकन का मांस उत्पादन में मुख्य योगदान है। ब्रॉयलर सामान्यत: बड़े शेड के भीतर सघन स्थिति के अंतर्गत मिश्रित नर-मादा के झुंड में विकसित होते हैं। वैश्विक मांस उत्पादन में मुर्गियों के मांस का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था भारत में पोल्ट्री क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है।

केरल चिकन क्या है?

महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक प्रयास में अग्रणी, कुडुम्बश्री, ब्रॉयलर उत्पादन की अनिश्चितताएं दूर करने के कदम उठा रहा है। केरल राज्य पोल्ट्री विकास निगम, पशु पालन विभाग, केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकाय जैसे अन्य विभागों के साथ, कुडुम्बश्री मिशन ने बाज़ार में कुडुम्बश्री ब्रॉयलर चिकन के उत्पादन की योजना बनाई है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्रायलर चिकन के उत्पादन द्वारा ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं सुरक्षित चिकन उपलब्ध कराना है। कुडुम्बश्री के सदस्यों को नियमित आय उपलब्ध कराना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

उत्पादित मांस बेचने के लिए कुडुम्बश्री के मीट स्टॉल

यह कार्य शुरू करने के लिए सीडीएस को 2 लाख रुपए दिये जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के लिए कम से कम 3 सदस्यों की ज़रूरत होती है। वे अस्थाई दुकान या स्थाई संरचना का निर्माण कर सकते हैं।

फायदे का सौदा

केरल राज्य पोल्ट्री विकास निगम, पशुपालन विभाग, केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तथा स्थानीय स्वशासन जैसे अन्य विभागों के साथ कुडुम्बश्री मिशन से जुड़े लोग प्रत्येक चक्र में करीब 45000 रुपए कमा लेते हैं। (एक चक्र 45 दिनों का होता है)। ♦

यह कैसे काम करता है?

पहले चरण में 1000 इकाइयों का चयन किया जाएगा। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में औसतन 100 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसे कवर करने वाला विभाग इकाई को एक दिन का ब्रॉयलर चिकन देगा और लाभार्थियों को प्रशिक्षण देगा । यह परियोजना 5000 कुडुम्बश्री सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से रोज़गार देगी। 15 पक्षियों के लिए कम से कम 1 सेंट क्षेत्र की ज़रूरत होती है और इस प्रकार 1000 पक्षियों के लिए 66 सेंट ज़मीन की ज़रूरत होती है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बाँटकर किया जायेगा। व्यक्तिगत उद्यमी, 1000 चूज़े पाल सकते हैं और चार सदस्यों के समूह वाले उद्यमी, 250 चूज़े प्रति सदस्य पाल सकते हैं। पंचायती राज के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत उद्यमी (श्रेणी 1) के लिए 1000 चूज़े पालना आधारभूत जरूरत है। इसमें उन महिलाओं को वरीयता दी जाती है, जोकि पहले से मुर्गी पालन क्षेत्र सें जुड़ी हुई हैं। लाभार्थी अपने उद्यम का पंजीकरण कम्यूनिटी डेवेलपमेंट सोसायटी (सीडीएस) में करा सकते हैं। इन उद्यमों के लिए संयुक्त बैंक खाता व वित्तीय रजिस्टर ज़रूरी है। कम्यूनिटी इन्वेस्टमेन्ट फंड (सीआईएफ) की राशि सीडीएस के सीआईएफ फंड खाते में डाली जानी चाहिए।

कन्धमाल में गरीबी उन्मूलन

ओडीसा में मनरेगा और उद्यान विभाग के मिले-जुले प्रयास ने माझी को उनकी जमीन पर (झाड़ू बनाने वाली) झाड़ की खेती करने में सहायता प्रदान की जिससे उनकी गरीबी समाप्त हो गई।

ओडीसा राज्य के कन्धमाल जिले के खजुरीपद ब्लॉक की गुदरी ग्राम पंचायत के दादपाजू ग्राम में साबूनाथ माझी रहते हैं। यद्यपि वे दो हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं फिर भी उनकी परेशानियाँ कम नहीं थीं। वे बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाते थे। इस कारण उनकी पत्नी बच्चों समेत उन्हें छोड़ कर अपने मां-बाप के पास रहने चली गई थी। माझी अपनी इस लाचारी के लिये खुद को कोसा करते थे।

ऐसा नहीं है कि माझी के पास जमीन नहीं थी, पर वे उसे जोतने में असमर्थ थे। इस प्रकार वह जमीन बंजर के रुप में पड़ी रहती थी। इससे भी ज्यादा खराब स्थिति यह थी कि जमीन की उर्वरता तेजी से कम होती जा रही थी क्योंकि उसपर कोई वनस्पतीय आवरण नहीं था और भूमि का क्षरण तेजी से हो रहा था। ऐसे समय में माझी को मनरेगा की सहायता मिली।

उद्यान विभाग ने मनरेगा के अंतर्गत माझी की जमीन पर हिल ब्रूम प्लान्टेशन शुरू किया। 'भूमि विकास' का यह कार्यक्रम खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनरेगा के सहयोग से शुरू किया गया। उद्यान विभाग ने किसानों को ब्रूम प्लान्टेशन के रखरखाव के लिये प्रशिक्षण भी दिया और माझी ने इसका लाभ उठाया।

हिल ब्रूम ग्रास एक ऊँची गुच्छेदार घास होती है और अपने फूलों के लिये जानी जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 60-90 सेमी. होती है। खेती के बाद सूखने पर यह गुच्छे कठोर और टिकाऊ बन जाते हैं और इनका उपयोग झाड़ू बनाने में किया जाता है।

दूसरे साल से इसकी पैदावार 1000 किग्रा. हो जाती है, जिसका मूल्य लगभग 50,000/- रु. होता है। बाद में पैदावार बढ़कर 2000 किग्रा. हो जाती है जिसकी कीमत 1 लाख रु. तक हो जाती है। पांचवे वर्ष के बाद पैदावार में गिरावट आ जाती है। फिर भी बीजों के उपयोग से पौधे आसानी से बढ़ाये जा सकते हैं और स्वस्थ पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

माझी अब स्वस्थ पौधे उगाने के साथ-साथ झाड़ू भी बनाते हैं। कन्धमाल की झाड़ू की मांग अब ओडीसा के कई शहरों और कस्बों में है। माझी द्वारा बनाई गई झाड़ू अब सरकारी एजेंसियां भी खरीदती हैं और ये देश के विभिन्न शहरों में बेची जाती है। ♦

प्रभाव

मनरेगा के सहयोग से आई आर्थिक सम्पन्नता से माझी अत्यंत प्रसन्न हैं। उनका परिवार अपने घर लौट आया है। वे कहते हैं "मैं अब अपने दोनों बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन कर सकता हूँ। वे अब ट्यूशन पढ़ने भी जाते हैं।"

यूं तो ग्रामीण भारत में अब कई महिला व्यवसायी हैं पर उनमें से कुछ ही ऐसी हैं, जो तमाम उत्पीड़नों और बाधाओं से जूझते हुए भी सफल हो जाती हैं, जैसे कि आजीविका सखी मंडल की सदस्याएं।

कैफे दीदी
जहां ख़्वाब सच होते हैं

ग्रामीण भारत को अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। इससे न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया अभिभूत है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस खूबसूरती के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा हुआ है, वह है महिलाओं का उत्पीड़न और उपेक्षित जीवन। हालांकि, गांवों की ये महिलाएं कुछ ऐसा भी काम करती हैं, जिससे न सिर्फ वे, बल्कि उनका समाज भी सशक्त बनता है। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि खुशी मनाने का अवसर भी है, जिसे उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए।

झारखंड के आजीविका सखी मंडल की सदस्यों ने केरल की ग्रामीण महिलाओं के 'कुडुम्बश्री कैफे' से प्रेरित होकर कैफे की चेन शुरू की है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के सहयोग से दीप महिला समूह और सरस्वती किसान महिला समूह के 5 सदस्यों ने मिलकर आजीविका कैफे दीदी की शुरुआत की है।

जीवन की इस नई यात्रा की शुरुआत करने से पहले इन पांचों सदस्यों को रातु रोड स्थित पायल होटल में पांच दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया था। यहां उन्हें कई तरह की रेसिपी सीखने के साथ ही यह जानने का भी अवसर मिला कि किसी भी होटल में ग्राहकों को सेवाएं देते वक्त स्वच्छता का ख्याल कैसे रखा जाए। कैफे टीम की एक सदस्य नीतू देवी ने बताया, ''प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया गया कि खाना बनाते समय एप्रन और कैप व खाना परोसते समय हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए।'' दूसरी सदस्य पद्मा देवी ने इस प्रशिक्षण के बारे में बताया : ''उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हमें साबुन से हाथ धोने, बालों में कंघी करने व नियमित तौर पर नाखून काटने के महत्व के बारे में भी समझाया गया।''

कैफे शुरू करने के लिए इन महिलाओं ने 50,000 रुपये का निवेश किया है। इसके लिए हर दीदी ने अपने सखी मंडल से 10,000 रुपये का ऋण लिया है, जो कि आजीविका मिशन के तहत झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन सोसायटी द्वारा समर्थित है।

दीप महिला समूह की सीमा देवी ने बताया, ''अब हम लोग अपने घरों की चारदीवारी के अंदर कैद नहीं हैं। सखी मंडल की मदद से हमारी जैसी महिलाओं को सपने देखने और फिर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पंख मिल गए हैं। पहले नौकरी की तलाश में मुझे अपने गांव से पास के शहर में जाना पड़ता था। मैं दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर काम करती थी और अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर पाने में असमर्थ थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आज मेरा खुद का स्टार्टअप है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में मैं एक सफल उद्यमी बन सकूंगी।'' कैफे दीदी के समूह ने 'लज़ीज़ कैटरिंग ग्रुप' के नाम से एक कैटरिंग समूह की भी शुरुआत की है। स्वादिष्ट, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और कम कीमत वाले व्यंजनों के साथ वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना चाह रही हैं। कैफे की लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग आजीविका दीदी कैफे में लगभग 100 से 500 ग्राहक आते हैं, इनके कुछ कैफे ब्लॉक मुख्यालय में स्थित हैं तो कुछ जिला मुख्यालय और राज्य की राजधानी में भी हैं।

इस कैफे के सदस्य हर महीने लगभग 5,000 से 10,000 रुपये तक कमा लेते हैं। आजीविका दीदी कैफे के मॉडल से प्रेरित होकर अब 80 से 100 कैफे और शुरू हो चुके हैं, जिनमें 150 एसएचजी (स्व-सहायता समूह) शामिल हैं। हर कैफे में 3 से 5 स्व-सहायता समूह सदस्य हैं। ♦

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मध्य प्रदेश की सड़कों के निर्माण में अनुपयोगी प्लास्टिक का उपयोग-सफलता का कीर्तिमान

सभी प्रकार के प्लास्टिक सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं। केवल पतली फिल्म से बने कैरी बैग, यूज़ एण्ड थ्रो कप और पीईटी बोतलों वाले प्लास्टिक को ही इस काम में लिया जा सकता है।

अपने देश में बेकार प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट करना एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में प्लास्टिक का निस्तारण या तो उसे रिसाइकिल करके या जमीन में गड्ढे भर कर या जला कर किया जाता है। जमीन के गड्ढे भरने और जलाने से वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में लगभग 8000 से 10000 टन तक कूड़ा-कचरा प्रतिदिन निकलता है। इस कचरे में लगभग 5 से 7% प्लास्टिक होता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क निर्माण में नहीं किया जा सकता है। केवल पतली फिल्म से बने कैरी बैग, यूज़ एण्ड थ्रो कप और पीईटी बोतलों से उपलब्ध प्लास्टिक का उपयोग इस काम में किया जा सकता है। सड़क बनाने के काम आ सकने वाला प्लास्टिक केवल 1% ही होता है और नगर निगम केवल 3 से 5% कचरा ही उठा पाता है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक के इस्तेमाल का तरीका और उसकी गुणवत्ता के अध्ययन के लिये मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मार्च 2014 में तमिलनाडु में मदुरई और डिंडीगुला का दौरा किया। स्व-सहायता समूहों द्वारा अधिकारियों ने पाया कि वहां बेकार प्लास्टिक सीधे घरों से एकत्र किया जाता है और वे ही इसे अलग-अलग करते हैं। प्लास्टिक साफ किये जाने के बाद मशीन द्वारा 2.36 मिमी. के टुकड़े बनाए जाते हैं। ये टुकड़े सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को बेचे जाते हैं। यह प्लास्टिक 140 से 185° सेंटीग्रेड पर गर्म करके सेमी आटोमेटिक प्लान्ट द्वारा मिक्स की जाती है। आरम्भ में समस्या प्लास्टिक

1 किलोमीटर प्लास्टिक सड़क बनाने की गणना

1 किमी. सड़क के लिए बिट्यूमिन =5475 किग्रा.
10% के हिसाब से प्लास्टिक कचरा= 547.5 किग्रा. = लगभग 550 किग्रा.
बिट्यूमिन की जगह 8% प्लास्टिक कचरा यानी 438 किग्रा.
प्लास्टिक कचरे के साथ बिट्यूमिन की आवश्यकता = 5037 किग्रा.
प्लास्टिक कचरे का मूल्य 30 रु. प्रति किग्रा (लगभग)
मध्य प्रदेश में प्लास्टिक सड़क बनाने में निम्न विधि अपनाई जाती है :-

- नगर निगम भोपाल और इन्दौर/एनजीओ द्वारा प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया जाता है, सफाई की जाती है और छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं।
- ये टुकड़े परिवहन के जरिये गन्तव्य स्थानों को पहुँचाए जाते हैं।
- प्लास्टिक हॉट मिक्सिंग प्लांट में मिलाई जाती है।
- मिले हुए प्लास्टिक का परीक्षण होता है।
- तैयार सड़क तल पर प्लास्टिक और बिट्यूमिन का मिश्रण बिछाया जाता है।

कार्यान्वयन में नियंत्रण

- प्लास्टिक कचरे का आकार (Size) और मोटाई।
- प्लास्टिक कचरा साफ और सूखा होना चाहिए।
- एग्रीगेट (Aggregate) को 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना चाहिए।
- मिक्सिंग के दौरान प्लास्टिक की मात्रा पर नियंत्रण होना चाहिए।
- सड़क पर बिछाते समय तापमान नियंत्रित होना चाहिए।
- आग से बचाव की व्यवस्था हो।
- बड़े साइज के बचे हुए प्लास्टिक पर नियंत्रण रखा जाए।

चुनौतियां

- प्लास्टिक कचरे की उपलब्धता की निरंतरता।
- हॉट मिक्स प्लांट में जरूरी बदलाव।
- मिक्सिंग के बाद नतीजों के आकलन के लिए कोई परीक्षण व्यवस्था नहीं है।
- IRC द्वारा परीक्षण और कार्य-विधियां तय होनी चाहिए।
- Aggregate में बचा हुआ प्लास्टिक।

लाभ

- वातावरण और जलवायु के अनुकूल।
- बिट्यूमिन की बचत।
- कार्यक्षमता में सुधार।
- 10% से 15% तक पानी के उपयोग में बचत। परिष्कृत समग्र प्रभाव मूल्य
- इम्प्रूव्ड एग्रीगेट इम्पैक्ट वेल्यू 10% से 12%।

की व्यवस्था करने की थी। इसके लिये एमपीआरआरडीए ने कबाड़ियों से सम्पर्क किया; नगर निगम, भोपाल, कचरा प्रबन्धन ठेकेदारों (वेस्ट मैनेजमेन्ट कॉन्ट्रेक्टर्स), इन्दौर नगर निगम, कबाड़ियों के बीच कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान से जुड़े व्यक्तियों और स्वयं सेवी समूहों से भी सम्पर्क किया गया। इस व्यवस्था के बाद निर्माण के लिए सड़कों का चयन किया गया और सड़क निर्माण का कार्य वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हुआ। यह सारा कार्य हॉट मिक्स प्लान्ट से हुआ। प्रारम्भिक सफलता मिलने के बाद प्लास्टिक से सड़क निर्माण का कार्य जबलपुर, भोपाल और इन्दौर में चल रहा है। अब तक एमपीआरआरडीए ने मध्य प्रदेश के 32 जिलों में 450 किमी. प्लास्टिक मिश्रित सड़क बनाने में सफलता प्राप्त की है। ♦

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) छत्तीसगढ़

कुशल दिव्यांग(नेत्रहीन) को मिला घर ।

लाभार्थी – श्री बृजलाल नेताम के बारे में संक्षिप्त विवरण

नाम – श्री बृजलाल नेताम ;
पिता – स्वर्गीय लखमूराम नेताम
जाति – अनुसूचित जनजाति
आयु / लिंग – 44 वर्ष / पुरुष
आजीविका का साधन – बांसुरी बजाकर श्रोताओं से होने वाली आय, 1.5 एकड़ असिंचित ज़मीन पर खेती, दिहाड़ी मजदूरी और तेंदू पत्तों की तुड़ाई आदि।

सरकारी योजनाओं से लाभ

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बृजलाल नेताम को 350 रुपये मिलते हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण।
- उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला।
- बिजली कनेक्शन भी मिल चुका है।
- जन धन योजना के अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना का लाभ।
- सुहांतीन नेताम स्व-सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) की सदस्या हैं।

कोंडागांव जिले के अंतर्गत बड़े राजापुर ब्लॉक से लगभग 5 किमी दूर स्थित ग्राम पंचायत बड़ागांव के निवासी बृजलाल नेताम के साथ भाग्य ने बहुत क्रूर खेल खेला है। अपनी आंखों की रोशनी खोने के साथ ही बृजलाल ने अपने मां-बाप और बड़े भाई को भी खो दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। अब वे अपनी भाभी, भतीजे व भतीजी के साथ रहते हैं। गांव और पास के बाजार में सिर्फ बांसुरी बजा कर परिवार का पालन-पोषण कर पाना बृजलाल के लिए पहले बहुत मुश्किल था। संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन थी। उनकी आय का अन्य साधन सिर्फ 350 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन थी, जो बहुत मामूली राशि है। विपरीत परिस्थितियों में भी बृजलाल ने बांसुरी वादन का अपना हुनर जिंदा बनाए रखा क्योंकि घर चलाने के लिए वही उनकी आय का मुख्य स्रोत था। लेकिन, बांसुरी बजाकर न तो मकान बनवाया जा सकता है और न ही परिवार के सभी सदस्यों का पेट भरा जा सकता है। एक पक्के घर का निर्माण उनके लिए किसी असंभव स्वप्न की तरह था। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण से उनका यह सपना हकीकत में बदल गया। राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की मदद से बृजलाल के घर का निर्माण संभव हुआ है। पक्का घर बन जाने से बृजलाल और उनका परिवार बहुत खुश है। बृजलाल नेताम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, जब प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके नवनिर्मित पक्के मकान के लिए उन्हें बधाई दी। ♦

परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम	आयु/लिंग	रिश्ता	शिक्षा
1.	सुहांतीन नेतम	38/महिला	भाभी	.....
2.	सुमित्रा नेतम	22/महिला	भतीजी	हाई स्कूल
3.	मंकेश कुमार नेतम	19/पुरुष	भतीजा	हाई स्कूल
(... पिता की मृत्यु के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके)				

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह

अपनी चंपारण यात्रा के दौरान गांधीजी ने कहा था, ''मैं यहां मानवता और राष्ट्र की सेवा करने के लिए आया हूं। मैं चंपारण को अपना घर बनाकर पीड़ितों के लिए काम करूंगा।'' स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य नए भारत का निर्माण करना और उसी चंपारण को खुले में शौच से मुक्त करवाना है।

महात्मा गांधी का मानना था कि ईश्वर की आराधना के बाद सफाई सबसे महत्वपूर्ण है। वे स्वच्छ भारत का सपना देखते थे और सभी भारतीयों को अपने बहुमूल्य योगदान से इस महान कार्य में सहयोग देने के लिए प्रेरित करते थे। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) भारत के उन महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है, जिन्हें महात्मा गांधी के स्वप्न के अनुरूप आरंभ किया गया है, ताकि ग्रामीण भारतीयों के स्वास्थ्य, जीवन-स्तर एवं सुरक्षा में सुधार हो सके और वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया था। 'स्वच्छ भारत मिशन' पूरी दुनिया में स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) देश के तौर पर स्थापित करना है। वस्तुत: यह महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

अब भारत स्वच्छता-क्रांति का साक्षी बन रहा है। ग्रामीण भारत में जहां अक्टूबर 2014 में 55 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे, वहीं मार्च 2018 तक यह संख्या घटकर केवल 25 करोड़ रह गई है। विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों के निष्कर्षों से यह साबित

एसबीएम द्वारा पहले से बनाया गया प्रभाव

स्वच्छता का आर्थिक प्रभाव

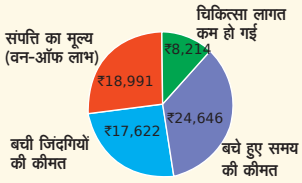

यूनिसेफ के आंकलन के मुताबिक, भारत के हर ओडीएफ गांव का परिवार प्रतिवर्ष 50,000 रुपये बचा सकता है।

स्वच्छता का स्वास्थ्य प्रभाव

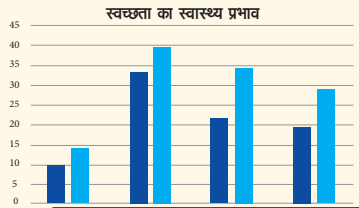

	डायरिया	स्टन्टिंग	वेस्टिंग	महिलाओं में बॉडी मास इंडेक्स की कमी
ओडीएफ	9.3	33.7	21.7	19.6
नॉन-ओडीएफ	13.9	39.6	34.3	29.0

बीएमजीएफ के आकलन के मुताबिक, भारत के ओडीएफ गांवों का हर परिवार दूसरों की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ रहता है।

■ ओडीएफ ■ नॉन-ओडीएफ

हो चुका है कि स्वच्छता से ग्रामीण भारत के परिवारों में सकारात्मक आर्थिक और स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, 26 मार्च 2018 तक 6.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है, 3.38 लाख गांव, 338 जिले, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित किए जा चुके हैं। हाल ही में एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी ने 6000 गांवों के 90,000 घरों में सर्वेक्षण कराया था। इसमें पाया गया कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में 77% शौचालय हैं और इनके उपयोग का प्रतिशत 93.4% है। इस बारे में दिन-प्रतिदिन प्रगति हो रही है और 2 अक्टूबर 2019 से पहले भारत को ओडीएफ बनाने का अभियान सही दिशा में चल रहा है।

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह

चंपारण सत्याग्रह की एक शताब्दी पूरी होने के अवसर पर चंपारण अपने एक और अभियान स्वच्छाग्रह के लिए तैयार है, यानी 'खुले में शौच' से आजादी। स्वच्छाग्रह अभियान 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चला। देश के अलग-अलग भागों के 10,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रही बिहार के स्वच्छाग्रहियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि राज्य के सभी गांवों में स्वच्छाग्रह की पहल शुरू हो सके।

स्वच्छाग्रही अक्सर ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला समूह, समुदाय आधारित संगठन, स्व-सहायता समूह आदि मौजूदा व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य पर लगाया जाता है। इनमें से ज्यादातर पहले से सामूहिक परियोजनाओं पर काम कर रहे होते हैं

स्वच्छाग्रही

इस पहल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक हैं- स्वच्छाग्रही। ये 'पैदल सैनिकों' और प्रेरक व्यक्तियों की समुदाय स्तर की सेना होती है, जो ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण लागू करवाते हैं। भारत को ओडीएफ राष्ट्र बनाने की ओर इनका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है।

और कुछ तो खासतौर पर स्वच्छता से जुड़े उद्देश्यों के लिए अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं। वर्तमान तक 4.2 लाख स्वच्छाग्रहियों का पंजीकरण हो चुका है। इस मिशन का उद्देश्य है कि हर गांव में एक स्वच्छाग्रही हो, अर्थात् मार्च 2019 तक 6.5 लाख स्वच्छाग्रहियों की सेना तैयार करने का लक्ष्य है।

चलो चंपारण

महात्मा गांधी ने एक शताब्दी पहले, 10 अप्रैल 1917, को बिहार के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। इसमें बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता जैसे विषय शामिल थे। 10 अप्रैल 2018 को चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष का जश्न समाप्त हो गया और अब इसे 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' अभियान के अंतर्गत मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, बिहार सरकार के साथ मिलकर, देश में स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए 3 से 10 अप्रैल तक 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' अभियान चलाया गया। देश के विभिन्न भागों से 10,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रहियों को बिहार आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बिहार के 10,000 सत्याग्रहियों के साथ मिलकर काम किया। इससे राज्य के 38 जिलों में लोगों में स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन कर इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिली।

इस सप्ताह का समापन 10 अप्रैल 2018 को दोपहर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंपारण जिले में 20,000 स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के एक अंग के तहत भारत सरकार ने उन स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया, जिन्होंने इस बारे में अपने गांवों में शानदार प्रदर्शन किया है। ♦

ग्रामीण भारत में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना

मनुष्यों के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी वाला देश है और जल केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि जीवन रेखा है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की ग्रामीण आबादी कुल जनसंख्या की 68.84% है और यह 640,867 गांवों में रह रही है (जनगणना 2011)। इतनी बड़ी आबादी के जल संसाधन का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हाल ही में सभी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी की आपूर्ति करवाने की ओर कदम बढ़ाया है। अभी चुनौती यह भी है कि किस तरह बढ़ती आबादी को सतत जल संसाधनों के साथ उच्च स्तर की सेवा और शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। जरूरी बदलावों और बेहतर रणनीतियों के साथ अब यह कार्यक्रम ग्रामीण भारत की प्यास मिटाने के लिए तैयार है। स्वच्छ जल के उपभोग से लोगों को बीमरियां कम होंगी, यही इसका मुख्य लक्ष्य है।

केंद्र में वर्तमान सरकार ने इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए 2017-18 से 2019-20 तक चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कुछ सुधारों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जारी रखने के लिए हरी झंडी दे दी है। वर्ष 2009 में इसे इस लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को पीने, खाना बनाने व अन्य घरेलू कार्यों के लिए साफ पानी मिल सके।

हालांकि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को कुछ बदलाव की जरूरत थी क्योंकि इसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी और परिणामोन्मुखी बनाना था। इसके लिए प्रभावी निगरानी और विनियमन भी आवश्यक है। सरकार ने इस कार्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति दे दी है, ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योजनाएं सही ढंग से लागू हो सकें और ग्रामीण इलाकों के लोगों को उचित मात्रा में सुरक्षित व अच्छी गुणवत्ता का पेयजल मिल सके।

वास्तव में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों को अच्छी गुणवत्ता वाले जल की हमेशा आवश्यकता रहती है। इस बड़ी जरूरत को समझते हुए यह कार्यक्रम गुणवत्ता के न्यूनतम मानक निर्धारित करके पानी की उपलब्धता और निरन्तरता पर जोर देता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम पर आने वाला खर्च केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। इस कार्यक्रम के लिए 23,050 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच

बनाने के लक्ष्य पर आधारित कार्यक्रम का नया स्वरूप समायोजित करने वाला रहेगा, जिसका परिणाम भी बेहतर निकलेगा। आज की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी की आपूर्ति पाइप द्वारा की जा सके और इस कार्यक्रम के तहत इसी पर बल दिया जाता है।

जल आपूर्ति की योजना बनाने, निगरानी करने, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव के लिए हर ग्राम पंचायत की स्थायी समिति या उप समिति के तौर पर एक ग्राम पंचायत/ग्राम पानी और स्वच्छता समिति गठित की जा रही है। ऐसा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इस तौर पर यह कार्यक्रम नल-जल द्वारा आपूर्ति को उन जगहों पर ले जाने की कोशिश करेगा, जहां पानी की गुणवत्ता प्रभावित है, या एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) वाले जिले हैं या खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित गांव हैं। कार्यक्रम में यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि इन इलाकों में पाइप और पानी की आपूर्ति से संबंधित अन्य संरचनाएं व्यवस्थित व चालू स्थिति में हों।

संशोधित कार्यक्रम अधिक व्यापक और समाधान पूर्ण है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण की समस्या भी होती है। इनकी संख्या लगभग 28,000 है। इन इलाकों की ज़रूरतों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, नए व पुनर्गठित कार्यक्रम की 2 प्रतिशत धनराशि को उन इलाकों के लिए आवंटित की गई है, जो जापानी इंसेफलाइटिस और एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (जापानी मस्तिष्क ज्वर) से प्रभावित हैं।

नया कार्यक्रम उन कमियों व समस्याओं को भी ध्यान में रखेगा, जिनका सामना इसी कार्यक्रम के पहला चरण लागू करते समय हुआ था। ग्रामीण आवासीय इलाकों में पानी की उचित आपूर्ति के लिए राज्य पहले वार्षिक लक्ष्य तैयार किया करते थे, लेकिन खरीद प्रक्रिया, तैयारी की गतिविधियों, धनराशि जारी करने व कानूनी प्रोटोकॉल के पूरा होने में देरी की वजह से राज्य इन लक्ष्यों को पूरा कर पाने में असमर्थ थे। इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम के लिए आवंटित केंद्रीय निधियों की एक बड़ी राशि का उपयोग ही नहीं हो पाता था। इन कमियों को दूर करने के लिए, कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है, ताकि इसे प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इस प्रारूप में, राज्यों को दूसरी किस्त के लिए सहमत योजनाओं को पूर्व-वित्तपोषित करना होगा। 30 नवंबर तक दावा करके इस धनराशि की प्रतिपूर्ति केंद्रीय फंड से कराई जा सकती है। अगर इस निधि को समय रहते इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसे सामान्य पूल में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद वह निधि ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दे दी जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उन राज्यों में से चुना जाएगा, जो स्वीकृत योजनाओं में केंद्र सरकार का हिस्सा पहले ही फाइनेंस कर चुके हों। पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति वाली योजना का मूल्यांकन किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए जाने के बाद दूसरी किश्त का बचा हुआ भाग राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह चरण सुनिश्चित करेगा कि राज्यों की जल आपूर्ति योजना का उचित क्रियान्वयन किया जा रहा हो, ताकि कार्यक्रम सफल हो सके।

इन चरणों के माध्यम से आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित लगभग सभी क्षेत्रों में मार्च 2021 तक स्थायी तौर पर पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की समेकित प्रबन्धन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी ग्रामीण भारत के 77% आवासीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 40 लीटर साफ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत के 56 प्रतिशत लोग सार्वजनिक वितरण स्टैंड पोस्ट से नल का पानी ले सकते हैं और इनमें से 16.7 प्रतिशत घरों में पानी का कनेक्शन है। अब यह राज्यों पर निर्भर है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बचे हुए ग्रामीण क्षेत्रों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पीने का साफ पानी मिल सके। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस धनराशि के उपयोग की पूरी आजादी दे रखी है। अब देखना यह है कि राज्य कितनी अच्छी तरह इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर पाते हैं। उम्मीद की जाती है कि इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलू कुशलतापूर्वक काम कर सकेंगे और ग्रामीण आबादी को उनके हिस्से का स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। स्वच्छ पेयजल मिलने से लोग स्वस्थ रहेंगे और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। ♦

सफलता की कहानियां

विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय

1. विद्यार्थी न्यायालय से लोगों की मानसिकता बदलती है

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले ने अपने यहां 'विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय' नाम की एक अनोखी अवधारणा शुरू की है। इसके तहत 'गुड मॉर्निंग स्क्वॉड' जिन लोगों को भी खुले में मलत्याग करते हुए देखेगा, उन्हें विद्यार्थी न्यायालय ले जाएगा, जहां उन लोगों के लिए दंड का फैसला किया जाएगा।

'विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय' या स्टूडेंट्स कोर्ट्स में विद्यार्थी, जज की भूमिका निभाते हुए अपना फैसला सुनाते हैं। सजा के तहत पकड़े गए व्यक्ति से स्कूल परिसर, कक्षा, स्कूल के शौचालय या गांव तक की सफाई करवाई जा सकती है।

'गुड मॉर्निंग स्क्वॉड' में गांव के ही बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की कार्रवाई का कोई विरोध नहीं करता। हर सुबह विद्यार्थियों की इस जांच प्रक्रिया का कोई भी बुरा नहीं मानता है। असल बात यह है कि अब लोग खुले में शौच करने के बजाय शौचालयों का उपयोग करना बेहतर समझने लगे हैं। इस प्रक्रिया में स्वच्छता का महत्व घर-घर में समझा जाने लगा है।

अगर कोई व्यक्ति उस सजा को मानने से इंकार कर रहा हो तो उस पर मामूली जुर्माना लगा दिया जाता है। इस पहल से ग्रामीणों के व्यवहार में काफी बदलाव देखा गया है। जिला प्राधिकारियों का मानना है कि यह पहल पूरे देश में लागू कर दी जानी चाहिए।

स्कूल के विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत के स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने विद्यार्थियों के इस न्यायालय की स्थापना की है। इसके लिए ग्राम पंचायत के सभी स्कूलों से बच्चों का चयन किया जाता है।

पैनल के चयन के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किया गया है। उसमें शामिल बच्चों के घरों में शौचालय होना आवश्यक है। इसके लिए कक्षा 5 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। उन्हें स्वच्छता के तौर-तरीकों की जानकारी होना आवश्यक है और उनमें गुड मॉर्निंग स्क्वॉड में भाग लेने का उत्साह भी होना चाहिए। उन्हें विद्यार्थी न्यायालय की कार्रवाई में मौजूद रहना जरूरी है और उनमें निर्णय लेने की क्षमता एवं योग्यता भी होनी चाहिए। स्क्वॉड जिन लोगों को भी खुले में शौच करते हुए देखता है, उनके घरों में एक लिखित नोटिस भिजवा दिया जाता है। उस नोटिस के तहत उन्हें सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया जाता है। यह सुनवाई अमूमन शनिवार को रखी जाती है। इसके साथ ही, एक खास गीत भी बनाया गया है, जिसे ये विद्यार्थी उस व्यक्ति के पास घेरा बनाकर गाते हैं। इस गीत के कुछ बोल हैं, 'बापू/अम्मू तू तो गांव की सेहत के लिए हानिकारक है...'। यह गाना मजाक की भावना के साथ गाया जाता है, न कि किसी का तिरस्कार या अपमान करने के लिए। जो लोग सुनवाई के लिए विद्यार्थी न्यायालय आते हैं, उनसे संकल्प लिया जाता है कि अब वे शौचालय बनवाकर उसका उपयोग करेंगे। जिले के अधिकारियों ने देखा है कि अपने बच्चों द्वारा पकड़े जाने पर लोग काफी शर्मिंदा होते हैं। ऐसा होने पर बच्चे अपने अभिभावकों पर घर में शौचालय का निर्माण करवाने के लिए दबाव डालते हैं। जिला, इस अवधारणा का उपयोग ओडीएफ के साथ-साथ एक रणनीति के तौर पर करने की योजना बना रहा है, ताकि जिले की ओडीएफ स्थिति लगातार बनाए रखी जा सके।

विद्यार्थी न्यायालय

एक 'विद्यार्थी स्वच्छता न्यायालय' में 8-9 विद्यार्थी होते हैं। इनमें से 3 विद्यार्थी जज पैनल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2-3 विद्यार्थी कार्यक्रम का समर्थन करने में हाथ बंटाते हैं और 1 विद्यार्थी खुले में शौच करने वाले लोगों की कार्रवाई का ख्याल रखता है तथा एक अन्य विद्यार्थी को अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त किया जाता है।

2. विकलांग ग्राम सेवक हजारों को प्रेरित करते हैं

सुनील किशन राव कोकनारे के पास एक विकल्प था कि वे अपनी अपंगता से ही

अपनी बची हुई जिंदगी को परिभाषित कर लें या राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) का हिस्सा बन कर लोगों को स्वच्छता की सुरक्षित आदतों के बारे में अपने तरीक़े से समझा सकें।

1997 में एक दुर्घटना में ग्राम सेवक सुनील दिव्यांग हो गए और इसके बाद वे कई वर्षों तक उसी अवस्था में जीते रहे। जब वे धीरे-धीरे ठीक होने लगे, तो लोगों के लिए काम करने का उनका संकल्प मजबूत होता गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर ब्लॉक में जब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शुरू किया गया तो कोकनारे को शौचालय के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य-लाभों के बारे में दोबारा नहीं बताना पड़ा। वे जिले के अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे।

स्वच्छता का मुद्दा उनके दिल के करीब था इसलिए वे इस अभियान में गहरी रुचि लेते थे। वे अपनी तरफ से लोगों को प्रेरित करने की हरसंभव कोशिश करना चाहते थे। वह गांव के विकास में मुख्य भूमिका निभा रहे थे।

शुरुआत में स्वच्छता कवरेज कम था और लोगों को खुले में शौच से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता था। इसके बावजूद वे शौचालयों का निर्माण नहीं करवाते थे। कोकनारे को अहसास हुआ कि लोगों का व्यवहार बदलना महत्वपूर्ण है। कोकनारे के लिए लोगों का पक्ष और परिवेश समझना जरूरी था और उन्हें समझाने-मनाने के लिए आपसी संवाद बेहद महत्वपूर्ण था। अपनी शारीरिक स्थिति के कारण कोकनारे के लिए बाहर जाकर लोगों से मिलना और संवाद करना मुश्किल था। वह तो ढंग से चल भी नहीं पाते थे। जब नांदेड़ मिशन मोड की सीरीज कोकनारे के गांव में शुरू हुई तो उन्होंने भी एक बैठक में भाग लिया। उस बैठक में हर व्यक्ति की शौचालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने में ग्रामसेवकों की मदद की जा रही थी।

इन्हीं में से किसी एक बैठक में ग्राम सेवक की मुलाकात जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिंगारे से हुई, जो ग्राम सेवकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए आए थे। हर ग्राम सेवक को उनके समक्ष जाकर भविष्य की योजनाओं और अपने द्वारा की जा रही उन गतिविधियों के बारे में बताना था, जिनसे वे अपनी ग्राम पंचायत को ओडीएफ बनाने का इरादा रखते थे। कोकनारे की बारी आने पर उन्हें खड़े हो पाने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में सीईओ उनकी मदद के लिए आगे आए और कोकनारे से कहा कि अगर वह खुद से खड़ा हो सकेंगे, तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। इस बात से ग्राम सेवक का निश्चय और ज्यादा मजबूत हो गया। सबको अचंभित करते हुए वह न सिर्फ खुद से खड़े हो गए, बल्कि कई मिनटों तक खड़े रहे। उनके इस जज़्बे को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया।

अब वह लाभार्थियों के घर जाकर उन्हें घर में शौचालय का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते थे। वह सड़क के किनारे बैठक करके भी लोगों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी देने लगे। उनके इन प्रयासों के परिणाम जल्दी ही दिखाई देने लगे, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कुछ ही महीनों के भीतर स्वच्छता कवरेज में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हो गई। मिशन मोड में नांदेड़ का अभियान काफी बड़ा साबित हुआ। इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला और 2-3 महीने में ही जिले भर में 1,30,000 शौचालयों का निर्माण हो गया।

कृष्ण कोकनारे का मिशन

कोकनारे ने विजलवाडी, गवंडगांव, नगराल, मार्केल और तदखेल नामक पांच ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने में मदद की है। मेंदनकल्लूर भी ओडीएफ घोषित किये जाने के निकट ही है। उनके प्रयासों में 2500 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण और बहुत लोगों का व्यवहार बदलना शामिल है। वे बहुत से ऐसे लोगों के लिए अब प्रेरणा हैं, जो इस मिशन को आगे बढ़ाने में उनके साथ हैं।

गांव को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए एक सभा करते ग्रामीण।

3. वाराणसी में बाल स्वच्छता रथ का शुभारंभ

स्कूलों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 5 जनवरी, 2018 को सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस से एक बाल स्वच्छता रथ-इसमें

तीन वैन शामिल थीं, को हरी झंडी दिखाई। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) श्री सुनील वर्मा ने बताया, ''हर वैन में 5 सफाई कर्मी हैं, जो वाराणसी की तीन तहसीलों को कवर करेंगे। उनका काम है कि वे स्कूलों और आंगनवाड़ियों के शौचालयों का निरीक्षण करें, उन्हें स्वच्छ रखें और हमें प्रतिक्रिया दें।'' इसके लिए उन्हें सफाई के उपकरण/साधन, फीडबैक फॉर्म और जागरूकता के प्रसार के लिए पर्चे दिए जाएंगे। शौचालयों को गंदा पाए जाने पर उन्हें तुरंत साफ करना होगा। शौचालयों के निरीक्षण के दौरान अगर कोई कमी पाई जाती है, तो उसका विवरण फीडबैक फॉर्म में भरना होगा, जिसे 'ओडीएफ वॉर-रूम' तक पहुंचा दिया जाएगा। वहां उस शौचालय में सुधार लाने के तरीके पर काम किया जाएगा, जिसके लिए 7 दिन की समयावधि निर्धारित की गई है। जिस क्षेत्र के शौचालय गंदे पाए जाएंगे, वहां के प्रधान, सचिव और प्रधानाध्यापक के नाम एक 'लज्जा पत्र' भेजने के साथ ही उन्हें स्वच्छता में सुधार लाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। सीडीओ ने बताया कि अगर इसके बावजूद जल्दी सुधार के लिए कोई काम नहीं किया गया तो उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। स्वच्छता रथ रवाना करने के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला-निगरानी समिति और बाल निगरानी समिति को भी किट्स सौंपीं। वाराणसी में कुल 760 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से सभी में 10 महिलाओं की महिला-निगरानी समिति, 10 बच्चों की बाल निगरानी समिति और 10 पुरुषों की पुरुष निगरानी समिति शामिल हैं। इन समितियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जिन घरों में शौचालय बने हैं, वहां के लोग खुले में शौच न करें।

4. धमतारी में हर महीने की 6 तारीख को स्वच्छता मतदान

छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले को 13 सितंबर 2015 को, खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया गया था। तब से यह जिला अपने ओडीएफ स्तर को बनाए रखने पर जोर दे रहा है। इसके लिए नियमित तौर पर ग्राम सभा आयोजित करने के साथ ही निगरानी समितियां विभिन्न गतिविधियों द्वारा सुबह-शाम जानकारी लेती हैं। कुरूद ब्लॉक की भुसरेंगा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री कौशल चंद्राकर के मुताबिक, वे हर महीने की 6 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक स्वच्छता मतदान का आयोजन करवाते हैं। इससे समुदाय के लोगों को गुप्त तौर पर खुले में शौच करने के मामलों की सूचना देने का अवसर मिलता है। सरपंच ने बताया कि ऐसा मतदान हर स्कूल और संस्थान में करवाया जाता है। मतदान के इस तरीके से सुनिश्चित होता है कि लोग शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनके जिले की ओडीएफ स्थिति बनी रहे। इस मतदान के पहले महीने में खुले में शौच के 7 मामले आए थे। दूसरे महीने में 4 मामलों की रिपोर्ट आई। हालांकि, इन दिनों ऐसी रिपोर्ट न के बराबर आई हैं।

स्कूलों व आंगनवाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तीन वैन वाला बाल स्वच्छता रथ रवाना किया गया।

5. अब माहवारी के बारे में बात की जाए

झारखंड के सरायकेला-खरसावां के जिला प्रशासन ने एक पहल की शुरुआत की है - 'अब माहवारी के बारे में बात की जाए'। इसके द्वारा वे मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता प्रबंधन के विषय में लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। खासतौर पर इस दौरान निकलने वाले माहवारी वेस्ट को सुरक्षित तरीके से फेंकने के बारे में। मासिक धर्म को हमेशा निषिद्ध और गोपनीय विषय माना जाता रहा है। यह स्कूलों में चल रहे जल और स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएएसएच) का भी महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएमजी) का भी महत्वपूर्ण एजेंडा है। इस दौरान, बच्चे तत्परता से राजदूत बनकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति स्वच्छता की सुरक्षित आदतें अपनाए। पहले चरण में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के सभी

आओ, चर्चा शुरू करें

मासिक धर्म को हमेशा एक टैबू का विषय माना जाता रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड के सराय केला-खरसावां जिले ने एक अभियान की शुरूआत की है- 'अब माहवारी के बारे में बात की जाये'। इसके माध्यम से वे मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता प्रबन्धन के विषय में लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, खासतौर पर इस दौरान निकलने वाले मेंस्ट्रूअल वेस्ट को सुरक्षित तरीके से फेंकने के बारे में। यह अभियान स्कूलों में चल रहे स्वच्छता व जल कार्यक्रम (WASH) का भी महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) का भी महत्वपूर्ण एजेंडा है।

विद्यार्थियों को कवर करने वाला यह जन जागरूकता अभियान उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में शुरू किया गया है। यह अभियान न सिर्फ संवाद शुरू करेगा, बल्कि किशोर उम्र की लड़कियों को मासिक धर्म से जुड़ी सभी जानकारियां भी उपलब्ध करवाएगा, जैसे कि माहवारी के दौरान किस तरह अपना ख्याल रखा जाना चाहिए व सैनिटरी नैपकिंस को कैसे फेंका जाए? इस मामले से जुड़े सभी मिथकों को तोड़कर इस सामाजिक कुप्रथा का अंत किया जाएगा।

अभियान के दूसरे चरण में ऐसे सभी आवासीय स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन इनसिनरेटर (क्रीमेटोरियम) स्थापित किए जाएंगे, जहां बहुत ज्यादा माहवारी वेस्ट निकलता है और उसको सुरक्षित तरीके से निस्तारित करने की जरूरत है।

फिलहाल, यह अभियान 9 प्रखंडों के 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में चलाया जा रहा है, जहां के आवासीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्ति के लिए लगभग 23456 लड़कियां रहती हैं।

अभियान की गतिविधियों के तहत स्कूली लड़कियों के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप आयोजित करवाई जाती है, जिससे कि उन्हें मासिक धर्म से जुड़े हर मुद्दे के बारे में जागरूक किया जा सके। जाहिर है कि भारत की 70 प्रतिशत लड़कियों को सैनिटरी पैड्स के सुरक्षित निस्तारण की जानकारी नहीं होती है। इस अभियान से सैनिटरी इनसिनरेटर को बनाए जाने की मांग बढ़ जाएगी, जिससे मासिक धर्म के वेस्ट को फेंकने से पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा। माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन (एमएचएम) पर विशेष पुस्तिकाएं भी तैयार करवाई गई हैं, जिन्हें लड़कियों के बीच बांटा जाएगा, ताकि वे मासिक धर्म से जुड़े रहस्यों को जान सकें, किसी भी तरह के मिथक से न जुड़ें, किसी सामाजिक कुप्रथा के चक्कर में न पड़ें और खुद को अपवित्र मानते हुए स्वयं को दूसरों से अलग-थलग रखने की प्रवृत्ति से बचें। इन कार्यक्रमों में इस मुद्दे से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जाती हैं, ताकि वे इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकें, जिसमें मासिक धर्म के दौरान एवं बाद में शरीर में होने वाले बदलाव भी शामिल हैं।

माहवारी से संबंधित प्रक्रिया के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन

6. एटा जिले के परिवारों ने 25.8 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि लौटाई

एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम के तहत, उत्तर प्रदेश के एटा जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के परिवारों ने जिले के अधिकारियों को 25,80,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि लौटा दी। सरकार ने यह राशि उन्हें शौचालयों के निर्माण के लिए दी थी।

जिलाधिकारी के मुताबिक, दी गई प्रोत्साहन राशि, 7 गांवों के 215 परिवारों ने लौटा दी है। इसमें ग्राम जिनाइरा के 90 परिवार, ग्राम अखतौली रतनपुर के 15, ग्राम सराय अहमद खान के 10, नागला श्याम के 15, मिराहची के 30, सिरशतिप्पू के 20 और रोबिना मिर्जापुर के 35 परिवार शामिल हैं। इस महान कार्य के बारे में एटा के जिलाधिकारी श्री अमित किशोर ने कहा, कि यह एक बहुत बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि है, क्योंकि आमतौर पर लोग रुपये वापस नहीं करते हैं। इस पूरे अभियान के दौरान जिलाधिकारी ने स्थिरता और स्वामित्व पर जोर दिया है – इन दोनों की ही गारंटी तब दी जाती है, जब लोग अपने शौचालयों के लिए खुद भुगतान करें। जहां तक रणनीति की बात है जिलाधिकारी ने लोगों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय नेताओं, कई महिलाओं और सक्रिय स्व-सहायता समूहों को अपने साथ जोड़ा। अक्टूबर

जिलाधिकारी अमित किशोर का कहना है, "गांव के लोग शौचालयों की तुलना सम्मान (इज्जत घर) से करते हैं और यह अच्छा संकेत है"

2014 में एटा में स्वच्छता कवरेज मुश्किल से 17% था। साथ ही, शौचालयों में गड्ढे नहीं थे और वे काफी गंदे भी रहते थे। शौचालयों के निर्माण के दौरान अब गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है और इससे स्वच्छता कवरेज 37% तक बढ़ गया है। अब 576 गांवों में से कम से कम 150 गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं।

7. लोहरदग्गा में समय से पूर्व मना क्रिसमस

पूरे देश में विभिन्न जिले स्वच्छता के बारे में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए नई-नई गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं ताकि लोगों को शौचालय बनाने व उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। झारखंड के लोहरदग्गा जिले में क्रिसमस के एक महीने पहले से ही घरों में शौचालय होने व उनका इस्तेमाल करने का जश्न मनाया जाने लगा था। इस दौरान लोगों को उपहार दिए गए। जोरी गांव के लोगों ने जब अपने घरों के दरवाजे खोले, तो उन्हें एक सफेद व घनी दाढ़ी वाले, लाल सूट पहने, हैट लगाए सेंटा क्लॉज से अनपेक्षित उपहार प्राप्त हुए। सेंटा क्लॉज अपने साथ उपहार के तौर पर साड़ियां, कंबल व अन्य वस्तुएं लाए थे। लोहरदग्गा के उपायुक्त श्री बिनोद कुमार ने इस पहल के बारे में बताया, ''क्रिसमस के सीज़न और विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमें लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने का अवसर मिल गया था।'' 15 अगस्त 2017 को लोहरदग्गा जिले को ओडीएफ घोषित किए जाने के बाद से जिला प्रशासन लोगों का व्यवहार बदलने के लिए कई गतिविधियाँ चला रहा है। उनकी समझ में यह भी आया कि भारतीय समाज के लोगों के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए दीवाली, छठ-पूजा, दशहरा, मुहर्रम, सर्हुल या कर्मा जैसे त्योहारों पर समुदायों को प्रेरित करने के लिए गतिविधियां शुरू की गईं। 66 पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 59,573 शौचालयों का निर्माण करवाया गया था। उपायुक्त ने बताया, ''हमें समझ में आ गया था कि लोगों के लिए अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना आसान नहीं है। उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत का अहसास होने के बाद मैंने जिले की 66 पंचायतों में 66 सेंटा क्लॉज भेजने की योजना बनाई, ताकि लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके।'' महीने भर की योजना और तैयारियों के बाद 19 नवंबर 2017 की सुबह 66 सेंटा क्लॉज को सफाई कर्मियों के साथ सफाई और स्वच्छता का संदेश देने के लिए भेजा गया। उन्होंने ऐसे लोगों

झारखंड के लोहरदग्गा जिले के जोरी गांव के लोगों ने क्रिसमस के दौरान लगातार एक महीने तक उपहार प्राप्त किए।

को पुरस्कृत भी किया, जो अब खुले में शौच करना बंद कर चुके थे। सफाई-कर्मी स्वच्छ भारत मिशन की मुख्यधारा में शामिल हैं और उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार ही पुरस्कार के लिए परिवारों का चयन किया गया।

उपायुक्त ने बताया, ''मैं खुले में शौच रोकने के लिए 'क्रिसमस आपके द्वार पर है' कार्यक्रम को एक उपयोगी अवसर में बदलना चाहता था''। लोहरदग्गा जिले में अधिकांश आबादी आदिवासी समुदायों की है। जिनमें से ज्यादातर ईसाई हैं। चूंकि सेंटा क्लॉज को सौभाग्य और आशीर्वाद का संदेशवाहक माना जाता है, इसलिए वे सेंटा क्लॉज से आशीर्वाद पाकर काफी खुश थे। ♦

गंगा ग्राम प्रायोगिक परियोजना और स्वजल पायलट कार्यक्रम

पेयजल के क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की नई पहल 'स्वजल' एक सामुदायिक पेयजल कार्यक्रम है। पेयजल की आपूर्ति से संबंधित इस कार्यक्रम को 6 राज्यों में शुरू किया जा चुका है। केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने पहली प्रायोगिक परियोजना 20 फरवरी 2018 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के वीरपुर गांव में शुरू की थी। यह गांव दुंडा ब्लॉक में है। इस कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव, परियोजना महानिदेशक और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के संयुक्त सचिव शामिल हुए। ♦

हाल की गतिविधियों का राउंडअप

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में स्वच्छता पार्क का उद्घाटन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने 9 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत सैनिटेशन पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तकनीक और शौचालय-निर्माण की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जो स्वच्छता की अच्छी प्रथाएं लागू करने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं।

स्वच्छता रथ

स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न अभियानों के तहत देश भर में 1200 से ज्यादा स्वच्छता रथ निकाले गए। ये रथ मोबाइल आईईसी वैन होते हैं, जिन्हें आमतौर पर छोटे ट्रकों पर चढ़ा दिया जाता है। इनमें एलईडी पैनल, ऑडियो सिस्टम, छपे हुए पैनल/क्रिएटिव आदि रखे होते हैं। आमतौर पर रथ के साथ नुक्कड़ नाटक की एक टीम, लोक कलाकार, एक एंकर और एक तकनीकी सहायता टीम होती है। समुदाय के सदस्यों को साथ लाने के उद्देश्य पर आधारित यह रणनीति बहुत असरदार साबित हुई है। इनमें आईपीसी और आईईसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है - विशेष रूप से ऑडियो-विजुअल (एवी) और एसबीएम की विभिन्न थीमों पर मुख्य संदेशों के साथ छपे हुए पैनल।

गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन

23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में 5 नमामि गंगे राज्यों के 52 'नमामि गंगे' जिलों के लगभग 600 सरपंच, मुखिया और ग्राम प्रधान सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने की। जल संसाधन, गंगा संरक्षण और नदी विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में गंगा ग्राम जिले और राज्य सरकार के अधिकारियों के 700 स्वयंसेवक भी शामिल हुए।

अन्तर मंत्रालय सहयोग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र' की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत कुछ प्रखंडों में से चुने हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे स्वच्छता के उच्च मानदंड हासिल कर सकें। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय यूनिसेफ के सहयोग से 1400 स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचसी/पीएचसी) को प्रशिक्षित करेगा, ताकि वे चुने गए 670 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ काम कर खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। स्वच्छता पर एक अध्याय भी तैयार किया जा रहा है, जो कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को भेजा जाएगा। पेट्रोल पंपों और सर्विस स्टेशनों पर स्वच्छता के स्तर पर निगरानी रखने और इसमें सुधार के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 'स्वच्छता@पेट्रोलपंप' नामक ऐप विकसित किया है। यह ऐप उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंपों पर शौचालय की सुविधाओं की गुणवत्ता आंकने की अनुमति देता है।

केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती एक स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान।

स्वच्छता पखवाड़ा

अप्रैल 2016 से हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करने का उद्देश्य रहा है कि उसमें सभी लोगों के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों में भी स्वच्छता को तरजीह दी जा सके। आमतौर पर हर महीने 5-6 मंत्रालयों को पखवाड़ा कैलेंडर के हिसाब से देश भर में अपने संस्थानों और संलग्न/अधीनस्थ संगठनों में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए 14 दिन दिए जाते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मंत्रालयों और विभागों के लिए समेकित स्वच्छता पखवाड़ा के दिशा-निर्देशों के साथ कैलेंडर 2018 जारी किया है।

स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी)

प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने-अपने निश्चित बजट के साथ स्वच्छता के लिए काम करना होगा। इस निर्देश का पालन करते हुए 74 मंत्रालयों/विभागों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वच्छता योजनाओं को पूरा करने हेतु 17000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट निर्धारित किया है। इन्होंने अपने मौजूदा और नए कार्यक्रमों/योजनाओं में स्वच्छता को एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया है। ♦

“ हमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है तो फंक्शन, फंड्स और फंक्शनरी के अंतरण के बारे में विचार को आगे बढ़ाना होगा ”

श्री नरेंद्र सिंह तोमर

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय
www.facebook.com/MinistryofPanchayatiRaj
@mopr_goi

ग्रामीण विकास मंत्रालय
www.facebook.com/IndiaRuralDev

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
एडीटर-इन-चीफ: अमरजीत सिन्हा, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय
मेसर्स थॉमसन प्रेस, बी-315, सी-ब्लॉक रोड, ओखला-1, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली, दिल्ली-110020 से मुद्रित
पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित

Title Code: DELHIN28781